हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 2001

खण्ड-1, अंक-11

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 15 मार्च, 2001

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एंव उत्तर	1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	20
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	22
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	27
वाक आउट	33
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	33
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	33
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	34
सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र	34
समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना	34
(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 50वीं रिपोर्ट	34
(ii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 45वीं रिपोर्ट	35
(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 46वीं रिपोर्ट	35
(iv) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 47वीं रिपोर्ट	35
(v) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 48वीं रिपोर्ट	35

मूल्य : 48

(vi) वैल्फेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्टस शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड बैकवर्ड क्लासिज कमेटी की 25वीं रिपोर्ट 36

(vii) एस्टिमेट्स कमेटी की 32 वीं रिपोर्ट 36

(viii) गवर्नमैंट अश्योरैंसिज कमेटी की 30वीं रिपोर्ट 36

विधान कार्य 36

1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 1) बिल, 2001 36

2. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 2) बिल, 2001 38

3. दि हरियाणा कैटल फेयर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 2001 39

4. दि सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 2001 41

5. दि पंजाब शिड्यूल्ड रोडज एंड कंट्रोल एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2001 42

6. दि हरियाणा मुर्रा बफैलो एंड अदर मिल्च ऐनीमल ब्रीड (प्रिजरवेशन एंड डिवैल्पमैंट ऑफ एनीमल हस्बैंडरी एंड डेरी डिवैल्पमैंट सैक्टर) बिल, 2001 43

7. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2001 47

बैठक का स्थगन

विधान कार्य (पुनरारम्भ) 50

8. दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2001 51

9. दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2001 53

आधे घंटे की चर्चा 55

धन्यवाद व्यक्त करना

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 15 मार्च, 2001

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एंव उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

College for Julana

*312 **Shri Sher Singh :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a college in Julana; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to bring higher education to backward constituencies like Julana?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(क) जी नही, श्रीमान् ।

(ख) यद्यपि राज्य में उच्च शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी सरकार लगातार आगामी आवश्यकताओं का पुर्नावलोकन करती रहती है तथा उसके अनुसार योजना बनाती है।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जुलाना ऐसी जगह पर है जिसके चारों तरफ रूरल बेसड एरिया है। वहां पर किसानों और गरीबों के लिए हायर शिक्षा का कोई प्रवाधान नहीं है। उसके दोनों तरफ जीन्द और रोहतक पड़ता है और वह 25-25 किलोमीटर दूर है। आज हमारी सरकार लड़कियों को शिक्षा देने पर जोर दे रही है लेकिन वहां पर लड़कियां 10+2 तक की शिक्षा लेने के बाद घर में ही बैठ जाती हैं। वहां पर बसों का भी प्रावधान नहीं है जिसकी वजह से उनको दूसरी जगह पर जाने के लिए दिक्कत होती है। वह एरिया गरीब, किसान और मजदूरों का एरिया है और पिछड़े वर्ग का एरिया है तो क्या ये वहां पर हायर शिक्षा देने के लिए कोई कालेज खोलने का विचार करेंगे।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1966 में हरियाणा बना था । उस वक्त हरियाणा में 45 कालेजिज थे और आज हरियाणा में 170 कालेजिज हैं। इनमें से 53 गवर्नमैंट कालेजिज हैं और 113 गैर सरकारी कालेजिज हैं । जीन्द में 6 कालेजिज हैं उनमे से 3 सरकारी और 3 गैर सरकारी कालेजिज हैं। महम में भी कालेज है, रोहतक में भी कालेज और यूनिवर्सिटी हैं। यह जुलाना के नजदीक पड़ता है इसलिए वहां पर अलग से कालेज खोलने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। भिवानी में जो आदर्श कालेज है वहां पर पोस्टों की कमी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये वहां पर और पोस्टें देने की कृपा करेंगे। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ये जिन्दल कालेज में भी और पोस्टें देने की कृपा करेंगे ताकि वहां पर बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर अगर ज्यादा जरूरत है तो ये इस बारे में हमें अलग से लिखकर दे दें तो उस बारे में विचार कर लिया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा चूंकि हमारी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा पर और सभी को शिक्षा देने पर बजट में सबसे ज्यादा जोर दिया है और उसके लिए पैसों का भी प्रावधान किया है तो क्या ये मेवात में और हथीन में लड़कियों का कालेज बनवाने की कृपा करेंगे।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि अभी सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ये अपना प्रस्ताव हमें लिखकर भेज दें हम उसके बारे में विचार कर लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 384

(इस समय माननीय सदस्य श्री बलवन्त सिंह सढौरा सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Repair of Roads

* **402 Dr. Jai Parkash Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the length of the roads damaged in the State during last rains; and

(b) the length of the roads repaired in the State during the last one year i.e. from February, 2000 till now, together with the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क)	I	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	411.85 कि0मी0
	II	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	13.83 कि0मी0
		कुल	**425.68 कि0मी0**
(ख)	I	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2764.40 कि0मी0
	II	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	2054.21 कि0मी0
		कुल	**4818.61 कि0मी0**

जिलावार विवरण. परिशिष्ट-I और II अनुसार

परिशिष्ट-I

राज्य में क्षति-ग्रस्त सड़कों की जिलावार लम्बाई।

क्र0 स0	जिला	वर्षा के कारण क्षति-ग्रस्त सड़कों की लम्बाई		
		लो0 नि0 वि0 भ0 तथा स0	मार्किटिंग बोर्ड	कुल
1.	अम्बाला	150.83	—	150.83
2.	भिवानी	—	13.83	13.83
3.	करनाल	23.35	—	23.35
4.	कुरुक्षेत्र	219.80	—	219.80
5.	पंचकूला	17.87 और 2 पुलों के पहुंच मार्ग	—	17.87
	कुल	**411.85**	**13.83**	**425.68 और 2 पुलों के पहुंच मार्ग**

परिशिष्ट-II

हरियाणा में फरवरी, 2000 से लेकर अब तक जिलावार मुरम्मत की गई सड़कों की लम्बाई तथा उन पर किया गया खर्च।

क्र0 सं0	जिला	मुरम्मत की गई लम्बाई किo मी0		किया गया खर्च (रु0 लाखों में)	
		लो0नि0 वि0 भ0 तथा स0	मार्किटिंग बोर्ड	लो0नि0वि0	मार्किटिंग बोर्ड
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	154.16	83.17	344.62	147.62
2.	भिवानी	205.73	105.90	662.71	210.31
3.	फरीदाबाद	158.78	53.91	443.50	160.38
4.	फतेहाबाद	97.13	79.03	340.06	297.77
5.	गुड़गांव	202.91	85.70	556.96	245.16
6.	हिसार	167.58	80.49	587.85	269.14
7.	झज्जर	140.71	98.22	295.56	571.54
8.	जींन्द	185.66	133.77	442.39	288.43
9.	कैथल	133.11	95.61	356.07	429.18

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3	4	5	6
10.	करनाल	221.06	64.68	635.83	296.01
11.	कुरुक्षेत्र	225.04	83.93	547.32	198.03
12.	महेन्द्रगढ़	107.34	153.00	195.12	410.89
13.	पंचकूला	37.17	63.95	166.22	161.53
14.	पानीपत	93.06	36.74	248.50	220.69
15.	रिवाड़ी	68.28	259.40	296.68	692.13
16.	रोहतक	84.93	203.08	222.22	1166.30
17.	सिरसा	203.86	257.56	790.64	702.85
18.	सोनीपत	116.79	28.45	254.48	131.06
19.	यमुनानगर	161.10	87.62	558.51	370.60
	कुल	2764.40	2054.21	7945.24	6989.62

कुल मरम्मत /सुधार 4818.61 कि0 मी0

कुल खर्चा 14934.86 लाख रुपये

Dr. Jai Parkash Sharma : Speaker Sir, the reply of the question which has been supplied by the Government is not supported with the statement as stated in the reply. I would like to know from the Chief Minister about the overall present condition of the roads in the State alongwith the details of roads under repair. As the Chief Minister has already committed that all roads would be completed/repaired by the end of this year, may I again ask as to how many roads were damaged during the last rainy season and out of them how many roads have been repaired/constructed during the last one year ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, अगर किसी कारण से इनके पास सूचना नहीं पहुंची है तो मैं बता देता हूँ ।

आवाजें : स्पीकर सर, किसी के पास भी इस बारे में कोई सूचना नहीं पहुंची है ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूँ कि रोड्ज के मामले में आपने तारांकित प्रश्न संख्या नं0 256 पर आधे घण्टे की डिसकशन आज के लिए अलाऊ कर रखी है, इसलिए उस समय इस बारे में खुलकर चर्चा हो जायेगी। सदस्यों की जो भी शंकाएं होंगी उनके बारे में उस समय बता दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब अगला सवाल होगा ।

Amount spent on Construction/Repair of Road by H.S.A.M.B.

***318. Shri Jasbir Singh Mallour :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the amount spent on the construction of new roads and repair of roads in the Naggal Constituency by Haryana State Agricultural Marketing Board during the period from 11-5-1996 to 23-7-99 and 24-7-1999 to date ?

कृषि मन्त्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा नग्गल निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व मरम्मत पर निम्नलिखित राशि व्यय की गई है-

अवधि	ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय की गई राशि	ग्रामीण सड़कों की मरम्मत पर व्यय की गई राशि
11-5-1996 से 23-7-1999 तक	32.24 लाख रूपये	34.60 लाख रूपये
24-7-1999 से 31-1-2001 तक	84.58 लाख रूपये	76.33 लाख रूपये

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बारे में मैंने अपने जबाव में बता ही दिया है लेकिन जैसा अभी मुख्य मंत्री महोदय ने सदन को बताया है कि डा0 रघुबीर सिंह कादयान के नोटिस पर जो आपने आधे घंटे की डिस्कशन की इजाजत दे रखी है तो उसी समय ये सारी बातें भी आ जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब अगला सवाल होगा ।

Declaration of Dadri as District

***370. Shri Jagjit Singh Sangwan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Charkhi Dadri as district; if so, the time by which it is likely to be declared as such ?

नगर एवम् ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : जी, नहीं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर सर, दादरी उप मंडल प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा उप-मंडल है । लेकिन मंत्री जी ने उसको जिला बनाने के बारे में दो शब्दों में जो जी नहीं कहा है उसने हमारे दिल को तोड़ दिया है इससे वहां के लोगों में निराशा फैलेगी । इनको इस बारे में थोड़ा बहुत आश्वासन तो देना चाहिए था । अध्यक्ष महोदय, दादरी को पैप्सू के समय जिला घोषित किया गया था लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से दो महीने के बाद ही इसको तोड़ दिया गया । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या अब भी तो राजनीतिक कारणों से इसको जिला नहीं बनाया जा रहा है ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पैप्सू के समय क्या घोषणा हुई थी उस की तो मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि आज की वर्तमान सरकार की सोच में तुलनात्मक रूप से पिछली सरकारों की सोच के मुकाबले काफी परिवर्तन है । हमारी सरकार की सोच लोगों की पक्षधर की सोच है । ये जो मन की भावना की बात

[श्री धीरपाल सिंह]
कह रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम भी सीमाओं में बंधे हुए हैं । अभी जो जनगणना हुई है उसकी रिपोर्ट 31 मार्च, 2001 तक आनी है इसलिए हमारे लिए इस दौरान ऐसी किसी बात पर विचार करना या चर्चा करना संवैधानिक रूप से अड़चन है । लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार की ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री ने जैसे हाउस को जानकारी देते हुए बताया था कि अगर किसी इलाके की चुनी हुई ग्राम पंचायतें, जिला परिषद, ब्लाक प्रमुख और अन्य प्रमुख लोग किसी जिले को बनाने के लिए आवेदन करेंगे तो उस पर मैरिट और डि-मैरिट के आधार पर विचार कर लिया जाएगा ।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब, यह होगा कि इस बारे में हम अपने दावे को जनगणना के बाद करें ।

Bus Stand At Hathin

*** 532. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus stand in Hathin, if so, the time by which its construction is likely to be started ?

परिवहन मन्त्री (श्री अशोक कुमार) : हां श्री मान् जी, सरकार द्वारा हथीन में 2 बेज़ बस अड्डे का निर्माण करना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्व मुख्य मंत्री चौ० भजन लाल की सरकार द्वारा अधूरे छोड़े गए शिलान्यास को पूरा करने का सराहनीय काम किया है। चौधरी भजन लाल जी यहां विराजमान हैं उन्होंने भी यह बात सुनी होगी इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की कितनी कैटेगरी के बस स्टैण्ड सरकार बनाती है हथीन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके पास नूंह तक कोई बस स्टैण्ड नहीं है फिरोजपुर झिरका और तावडू तक भी नहीं है इसके लिए कोई समुचित बस स्टैण्ड बनाने की व्यवस्था करेंगे और क्या उसके शीघ्र निर्माण के लिए सरकार विचार करेगी ?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार जरूरत के हिसाब से जहां जिस टाइप का बस क्यू शैल्टर चाहिए उसके हिसाब से बनाती है। हरियाणा रोडवेज ए टाइप बी टाइप और 'सी' टाइप इन तीन टाइप के बस क्यू शैल्टर बनाती है और दो बेज से अठारह बेज तक के बस स्टैण्ड लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं।

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सांपला के अंदर बस स्टैण्ड बनाने का कोई प्रोविजन है क्योंकि सांपला दिल्ली और रोहतक के बीच में और उधर झज्जर और सोनीपत के बीच में पड़ता है ?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य को इस बारे में सेपरेट नोटिस देना चाहिए लेकिन क्योंकि बार-बार बस स्टैण्डस का जिक्र आता है इसलिए मैं बता देता हूं। इस

समय सरकार ने भूना, फतेहाबाद, हिसार, ढांड, कलायत, कैथल और सढौरा व यमुनानगर में बस स्टैण्ड बनाने के लिए जमीन ऐक्वायर कर ली है। सांपला के बारे में माननीय सदस्य ने बताया है, वहां पर सर्वे करा लेंगे अगर जरूरत होगी तो बना देंगे।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के हथीन में पहली बार जो बस स्टैण्ड बनाना प्रस्तावित था जिसको पहली सरकार नहीं बना पाई थी उस वक्त उसकी क्या कैटेगरी रखी गई थी और इस समय उसकी जो कैटेगरी रखी गई थी क्या उस कैटेगरी को कुछ बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी क्योंकि वहां पर बस स्टैण्ड बनाने की नितांत आवश्यकता है, वहां आवागमन और यातायात काफी असुविधाजनक है।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के बारे में इन्होंने पूछा है कि पिछली सरकार द्वारा वहां पर किस प्रकार का बस स्टैण्ड बनाना प्रस्तावित था वहां पर जैसा मुख्य मंत्री जी ने बताया कि पिछली सरकार तो सिर्फ पत्थर रखने में यकीन रखती थी। वहां पर पत्थर लगा कर आ गए थे इन्होंने जो पूछा है तो बताना चाहूंगा कि हमने वहां का सर्वे कराया था उसके हिसाब से वहां बस क्यू शैल्टर बनता था लेकिन आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हथीन में बस स्टैण्ड बनाने के लिए कह कर आए थे, इसलिए वहां पर बस स्टैण्ड बनाया जाएगा।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, घाटे में चलने की वजह से चरखी दादरी का डिपो तोड़ने की बात कही गई है उसके टूटने के बाद चरखी दादरी डिपो से 14 नयी बसें झज्जर के लिए व 12 रोहतक डिपो में भेजने का विचार है या नहीं ?

श्री अशोक कुमार : वैसे तो अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न था फिर भी सदन व साथी विधायक की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कोई भी डिपो इस वजह से नहीं तोड़ा गया कि वह घाटे में चल रहा है। डिपो प्रशासनिक सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, दादरी भिवानी के नजदीक है भिवानी से दादरी सब डिपो को चलाया जा सकता है और मैं साथी विधायक को बताना चाहूंगा कि जो दादरी में रूट चल रहे थे, किसी रूट में कोई कमी नहीं आएगी। बसें चाहे भिवानी, झज्जर या दादरी से चलाएं। जो बसें जाती थीं वह जाएंगी। बसों की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन तो पर्टीकूलर जगह का है। फिर भी मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो बस अड्डे बनाये गये हैं वहां पर बसें अन्दर नहीं जाती हैं बल्कि बाहर की सड़क पर रुक करके ही सीधी चली जाती हैं। क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है अगर है तो क्या उन्होंने इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं कि बसें जो बस अड्डे बने हुये हैं उनके अन्दर से होकर जायें।

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, पहले बस अड्डों पर एडवांस बुकिंग हुआ करती थी लेकिन पिछली सरकारों ने वह बंद कर दी थी इसलिए बस के ड्राइवर और कंडक्टर बसों को बाहर सड़क पर ही रोक कर सीधी निकाल लेते थे लेकिन वर्तमान सरकार ने एडवांस बुकिंग को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है इसलिये अब आगे से सारी बसें बस अड्डों के अन्दर से होकर गुजरेंगी जिससे सवारियों को सुविधा हो जायेगी।

Laying of Sewerage System in Sonipat

***581. Shri Dev Raj Diwan :** Will the Chief Minister be pleased to state the proportionate amount of the Budget allocation of the Public Health Department for the year 2000-2001 which has been allocated for laying of sewerage pipe line in Sonipat City?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : राज्य की मल निकास योजनाओं के लिए, जन स्वास्थ्य विभाग के बजट में वर्ष 2000-2001 में 270.00 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान है। जिसमें से 7.00 लाख रुपये सोनीपत शहर की मल निकास योजनाओं को आबंटित किए गए हैं।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, सोनीपत बहुत बड़ा शहर है वहां की आबादी कम से कम साढ़े तीन लाख है इसलिये सोनीपत की मल निकास योजना के लिए जो राशि दी है वह कम से कम दस गुना राशि देनी चाहिये थी। क्या मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : स्पीकर सर, इस बजट में पूरे प्रदेश के शहरों की मल निकास योजना के लिये राशि का प्रावधान है इसलिये सोनीपत शहर के लिये अलग से इतनी राशि का प्रावधान नहीं किया जा सकता । वैसे सोनीपत शहर के लिये और शहरों की अपेक्षा ज्यादा राशि आबंटित की गई है।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चीफ पार्लियामेंटरी सक्रेट्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सोनीपत शहर में सीवरेज के अलावा यमुना एक्शन प्लान पर भी कोई काम किया जा रहा है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सीवरेज का काम ट्रीटमैंट प्लांट के जरिये यमुना एक्शन प्लान के तहत किया जाता है और यह काम वहां पर किया भी जा रहा है इसके लिये कुल 23.22 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें से 21.21 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसी प्रकार से सैनीटेशन टॉयलेट का काम किया जा रहा है। इस काम को देखते हुये कि यह काम इतना सटीस्फैक्ट्री है भारत सरकार के एडीशनल सैक्रेटरी एण्ड प्रौजैक्ट डायरेक्टर, नेशनल रीवर्ज कंजरवेशन डायरेक्टोरेट ने चीफ सेक्रेट्री को एक चिटठी लिखी है जिसकी दो लाइन मैं पढ़कर सुना देता हूं इसमें लिखा है कि—

> "The performance of Haryana in the implementation of YAP has been excellent during the past 4 years."

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश के सभी शहरों में सीवरेज सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने और उसको मेनटेन करने की आवश्यकता है। प्रदेश में केवल एक मात्र म्यूनिस्पिल कारपोरेशन फरीदाबाद में है जहां की आबादी लगभग 20 लाख है Within the framework of M.C.F., वहां पर सीवरेज को चलाना और मेनटेन करना बड़ा कठिन है। क्या माजरा साहब इस बात का आश्वासन देंगे कि फरीदाबाद म्यूनिस्पिल कारपोरेशन के लिये एडीशनल राशि का प्रावधान करवाने के बारे सरकार विचार करेगी।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, इसमें कारपोरेशन की कोई बात नहीं है। सरकार ने हरियाणा प्रदेश के सभी शहरों की सफाई की व्यवस्था करने का फैसला किया है और इसी हिसाब से बजट में सभी शहरों के लिये प्रावधान किया है। सरकार को सभी शहरों की सफाई की व्यवस्था करने का पूरा ध्यान है।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय माजरा साहब से जानना चाहूंगा कि हमारे फरीदाबाद विधान सभा क्षेत्र में तवान और डबाल कालोनियों और एक दो और कालोनियों में दो लाख से भी ज्यादा आबादी है। इन कालोनियों में नालियों और सड़कों का काम तो हो गया है परन्तु सीवरेज का काम नहीं हुआ है। क्या सरकार नगर निगम के माध्यम से उन कालोनियों में सीवरेज का काम करवाने का प्रावधान करवायेगी।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न में विशेष तौर से सोनीपत में सीवरेज सिस्टम के लिए बजट के प्रावधान के बारे में पूछा गया है कि इसके लिए बजट में कितना पैसा रखा गया है। ये इस बारे में अलग से नोटिस दे दें हम इनको बता देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न चाहे सोनीपत से जुड़ा हुआ है, मैंने कल भी सदन में एक बात बताई थी। विपक्ष शायद उस समय सदन में उपस्थित नहीं था, शायद वाक आउट कर गया था। परसों नदियों की स्वच्छता के बारे में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक मीटिंग बुलाई गई थी। मैं सोनीपत के साथियों को बताना चाहूंगा कि यमुना एक्शन प्लान के तहत सीवरेज सिस्टम का उद्घाटन केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा मेरी मौजूदगी में किया गया। इससे पूरे सोनीपत शहर को सीवरेज सुविधा मिलेगी लेकिन इसके अलावा भी हमने कई और शहरों की गंदगी की सफाई कराने का भी जिक्र किया था और वे सरकार के विचाराधीन हैं। परसों जो मीटिंग हमारी हुई है उसमें हमने प्रधान मंत्री से खासतौर से घग्गर, मारकंडा, बेगना, कौशल्या और टांगरी नदियों की सफाई करने के प्रोग्राम को भी उस स्कीम में शामिल करने का निवेदन किया था। मैंने विशेष रूप से बताया था कि इन नदियों की धार्मिक भावनाओं के हिसाब से, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी बड़ी अहमियत है। केन्द्र सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई है कि 30 प्रतिशत रुपया स्टेट गवर्नमैंट और 70 प्रतिशत रुपया केन्द्र सरकार उस पर खर्च करेगी। (थम्पिंग) मैं समझता हूं कि अगर ये स्कीम केन्द्र द्वारा मान ली जाती है तो शायद हरियाणा प्रदेश में कोई भी ऐसा शहर नहीं बचेगा जो 70 प्रतिशत राशि के हिसाब से सीवरेज सिस्टम की सुख सुविधाओं से वंचित रह जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक फरीदाबाद का ताल्लुक है, फरीदाबाद केवल अकेला एन0 आई0 टी0 क्षेत्र में नहीं आता, इसमें बल्लभगढ़ और मेवला महाराजपुर भी आता है। पूरे के पूरे नगर निगम की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें लेकिन सरकार के सामने कुछ दिक्कते हैं और कुछ आर्थिक संकट हैं। जाने वाली सरकारें जो स्थिति बना गई हैं उस से सारा सदन अच्छी तरह से अवगत है।

Information Kiosk and Facilitation Centre

*** 301. Shri Rajender Singh Bisla :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to put up information Kiosk and Facilitation Centre in the State; and

(b) if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां, सूचना बूथ तथा सरलीकरण केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) राज्य सरकार की योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

1. राज्य सरकार द्वारा स्वशक्ति परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं, खास तौर पर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों मे सूचना सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये "महिला स्वशक्ति सूचना केन्द्र" स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा राज्य के सोनीपत जिले में पांच ऐसे केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. हरियाणा सरकार ने हर गांव में एक सुविधा एवं सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिये प्रस्ताव तैयार किया है जिसके लिये भारत सरकार एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वितिय संस्थानों से आर्थिक सहायता मांगी जा रही है।

3. राज्य सरकार द्वारा बनाई गई 'राइट आफ वे नीति' (मार्गाधिकार नीति) के अन्तर्गत कोई भी कम्पनी, जो कि आप्टीकल फाईबर बिछाने के लिए मार्गाधिकार के लिये इच्छुक है, को 1500 सूचना बूथ/सार्वजनिक सुविधा केन्द्र फ्रैंचाईज बिजनैस माडल के रूप में स्थापित करने होंगें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में सदन को सूचना दी है कि सोनीपत जिले में 5 सूचना बूथ भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये हैं। जो सूचना बूथ स्वीकृत कराये जाते हैं इनका क्या आधार है जिससे यह तय करते हैं कि यहां ये सैंटर खोले जायेंगे। इसके साथ-साथ यह भी जानना चाहूंगा कि क्या ये सूचना बूथ पूरे हरियाणा में खोले जायेंगे और फरीदाबाद जो औद्योगिक शहर है, वहां पर ये बूथ कब तक खोले जायेंगे ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह योजना हर गांव के लिए है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सूचना बूथ तथा सरलीकरण केन्द्र बनवाने हैं। सोनीपत के अंदर 5 केन्द्र खोलने की अनुमति ह्युमन डिवैल्पमैंट रिसोर्सिज मिनिस्टरी की स्वशक्ति योजना के तहत खोले जायेंगे और यह भी वही तय करते हैं कि पहले ये केन्द्र कहां पर खोले जायें। उन्होंने पहले सोनीपत और जींद जिले में ये सैंटर खोलने की मंजूरी दी है। मैं मेरे माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1500 सूचना बूथ/सार्वजनिक सुविधा केन्द्र फ्रैंचाईज बिजनैस माडल के रूप में स्थापित किए जायेंगे और महिलाएं ही इन्हें ओपरेट करेंगी। इस योजना के तहत हर गांव में सूचना बूथ खोले जायेंगे और जिस तरह से एस0टी0डी0 बूथ से या टैलीफोन से हर गांव को जोड़ा गया है उसी प्रकार से कम्प्यूटर के द्वारा हर गांव को जोड़ दिया जायेगा। कम्प्यूटर की वैब-साईट होंगी और उसमें हर जिले के बारे में इन्फर्मेशन होगी। उसके द्वारा हर तरह की जानकारी गांव के लोगों को उपलब्ध होगी और सरकार को भी हर जिले की जानकारी मिल सकेगी। जैसे गांव में किसी ने बुढ़ापा पैंशन का फार्म भरना हो तो उसे वह फार्म कम्प्यूटर पर उपलब्ध होगा और वह फार्म कम्प्यूटर द्वारा भरा जा सकेगा और सबमिट भी किया जा सकेगा इसी तरह सरकार भी किसी भी गांव की या जिले की जानकारी इंटरनैट पर ले सकेगी।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 5 सूचना बूथ सोनीपत जिले के लिए अप्रूव हुए हैं वे कहां-कहां खोले जायेंगे।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ये सैंटर कहां पर खोले जायेंगे इसकी डीमार्केशन इनफर्मेशन टैक्नालोजी विभाग द्वारा की जानी है। पहले इसका एक्सपैरीमैंट हैड आफिस में ही किया जायेगा जहां पर सुविधांए उपलब्ध होंगी।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सूचना बूथ खोले जायेंगे इनसे हमें क्या-क्या फायदे होंगे, विस्तार से बतायें ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये एक तरह के सूचना सैंटर होंगे, ज्ञान केन्द्र होंगे। इनके स्थापित होने के बाद सरकार की क्या-क्या विकास योजनाएं हैं। इस तरह की सभी जानकारी गांव के लोग इंटरनैट पर ले सकेंगे और गांव के बारे में जानकारी सरकार को उपलब्ध हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इन सैंटरों के स्थापित होने के बाद ग्राम डाक, ग्राम हाट, ग्राम मण्डी, शिकायत ऑन लाईन, आवेदन, स्र्टीफिकेटस, इन्फार्मेशन अबाउट कोमन रिलेटिड स्कीमज, पब्लिक इन्फार्मेशन सर्विसिज, सलाहकार, ट्रेनिंग आदि की जानकारी भी इंटरनैट पर मिलने लगेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि एक सैंटर पर लगभग 2 लाख रूपये का खर्चा आयेगा और हरियाणा के लगभग हर गांव में ये सैंटर स्थापित किए जायेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हरियाणा की जनता को सुविधाएं अपने डोर पर अपने गांव में इंटरनैट के द्वारा मिल सके।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राइट ऑफ वे नीति के तहत जो आप्टीकल फाइबर बिछाने का कार्य है उसके लिए क्या किसी कंपनी से आवेदन किए गए हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि आप्टीकल फाइबर बिछाने का कार्य ईयरवाईज मार्क किया गया है कि तीन साल में इतना कार्य किया जायेगा और पांच साल में इतना कार्य किया जायेगा। जहां तक कंपनियों से बात-चीत करने की बात है, इसमें तीन कंपनियां एच.एफ.सी.एल., भारतीय टैलीफोन कॉम्युनिकेशन और रिलायंस ने रूचि दिखाई है और इनको काम के लिए उपयुक्त समझा गया है। इनके अतिरिक्त अगर कोई और कम्पनी भी रूचि दिखायेगी तो हम उससे भी बात करेंगे और उसके इन्फास्ट्रक्चर के हिसाब से उसको काम दिया जायेगा। अगर किसी कंपनी का इन्फास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा या कोई दूसरी कमी पाई जायेगी तो उससे काम नहीं करवाया जायेगा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वैस्टमैंट होनी है। इसलिये कम्पनी की माली हालत को विशेष तौर से ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल तीन कंपनियों ने इसमें रूचि दिखाई है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और इस क्रांतिकारी योजना को हरियाणा प्रदेश में लाने के लिये सरकार का धन्यवाद करता हूं, दूसरी ओर मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि महिला स्वशक्ति सूचना केन्द्र खोलने और आप्टीकल फाइबर बिछाने के लिये जो सूचना बूथ व सार्वजनिक सुविधा केन्द्र उपलब्ध कराने की योजना है इसके अन्तर्गत सरकार ने लैटैस्ट टैक्नोलॉजी और दूसरी जो प्रोग्रैसिव पोलिसीज़ अडोप्ट की हैं उसमें क्या सूचना केन्द्र के पैरलल या उससे पहले इस तरह की कोई सूचना उपलब्ध करा

[श्री भगवान सहाय रावत]

कर प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। इसके साथ-साथ इसकी ट्रेनिंग देने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो कि नितान्त आवश्यक कार्य है। क्या इस तरह की कोई सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने ट्रेनिंग के सम्बन्ध में पूछा है। इंफर्मेशन टैक्नोलॉजी के तहत कम्प्यूटर एजूकेशन को सारे प्रदेश में लागू करने के लिये एजूकेशन पोलिसीज के ऊपर काफी डिस्कशन हुई है। सरकार छठी जमात से कम्प्यूटर साइंस को प्रदेश में लागू करने जा रही है। इसी तरह से हरट्रोन के तहत फ्रैंचाईज सैंटर खोलने की बात है तो पहले ब्लॉक स्तर तक, उसके बाद गांव स्तर तक फ्रैंचाइज सैन्टर खोले जाएंगे। अभी तक 31 फ्रैंचाइज सैन्टर खोले गये हैं तथा अब 111 और फ्रैंचाइज सैंटर ब्लॉकों में खोले जाएंगे। उसके बाद गांव स्तर पर ये सैन्टर खोले जाएंगे। मेरे साथी यह पूछना चाहते थे कि जो गांव-गांव में सूचना केन्द्र खोले जाएंगे वहां पर इन सूचना केन्द्रों को ओपरेट करने वाले किस तरह से ओपरेट कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी नई एजूकेशन पोलिसी में ये सब चीजें मीटआउट होंगी और जितनी ट्रेनिंग की जरूरत होगी वह अपने आप ही मिलती चली जाएगी।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Speaker Sir, I want to add more something. अभी मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती के साथ सारी बातें बताई हैं। कंपनियों का भी जिक्र कर दिया है और राइट ऑफ वे नीति का भी जिक्र किया है। माननीय सदस्य ने गांव-गांव तक ट्रेनिंग की बात की थी। स्पीकर सर, दो बातें हैं। पहली बात तो राइट ऑफ वे पोलिसीज़ की है जिसके बारे में मंत्री जी ने बताया भी है कि, इस काम को पूरा करने के लिये अलग-अलग टाइमिंग्ज़ हैं। दो साल तक हम इतना काम करेंगे और तीन साल में हम शहरों तक पहुंचेगे और लास्ट माइलेज लिंकेज यानि अंतिम छोर तक विद-इन सेवन ईयर्ज काम पूरा हो जाएगा और हरियाणा प्रदेश का हर गांव राइट ऑफ वे नीति से जुड़ जाएगा। स्पीकर सर, दूसरी बात टैलीकम्यूनीकेशन सिस्टम की है। यह जो राइट आफ वे पोलिसी होगी इससे टैलीकम्यूनीकेशन सिस्टम भी मजबूत होगा। स्पीकर सर, आज इंटरनैट का जमाना है। हालांकि हमारे कांग्रेस के कई सम्मानित साथियों ने कम्प्यूटर ट्रेनिंग के दौरान सीखने का प्रयास भी किया है और काफी अच्छी तरह से सीखा भी है। जयप्रकाश जी ने भी सीखने के लिये काफी टाइम लगाया है। यह अच्छी बात है। स्पीकर सर, जब हम इंटरनैट पर बैठते हैं तो हमें कम्यूनीकेशन करने और मैसेज रीसीव करने में बड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमारा टैलीकम्यूनीकेशन सिस्टम स्ट्रोंग नहीं है, बहुत स्लो है। इसलिये हमारी राइट ऑफ वे नीति के साथ-साथ टैलीकम्यूनीकेशन के लिये भी तत्काल सेवा उपलब्ध होगी। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने भी काफी कुछ बता दिया है और मुझे भी एक बात बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि अभी आने वाले वर्ष से स्कूलों में बच्चों की क्लासें शुरू हो रही हैं और जिस भी सरकारी स्कूल में 200 बच्चे कम्प्यूटर शिक्षा लेने के लिये तैयार होंगे वहां पर हर बच्चे को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और पूरे प्रदेश में यह सुविधा दी जाएगी।

Electricity Pole in Village Kunchaya

* **595. Shri Daryao Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the time when the electricity poles were erected in villages Kunchaya and Luhari in

Jhajjar Constituency and the time by which the wiring work in the said poles are likely to be completed ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : कुन्जाया तथा लुहारी गावों का विद्युतीकरण 1970 के दशक के शुरू में ही किया गया था। लुहारी तथा कुन्जाया गांव में बिजली के पोल जो वितरण नेट वर्क के विस्तार के लिए बाद में लगाए गए थे उन पर कन्डक्टरों/बिजली की तारों की व्यवस्था की गई है। कोई भी पोल ऐसा बाकी नहीं बचा है जिस पर तार की व्यवस्था नहीं हो।

श्री दरियाव सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन खम्बों पर बिजली की तारें अब लगवाई गई हैं या पहले की लगी हुई हैं क्योंकि उन गांवों के अन्दर खम्बे बिना बिजली की तार के बहुत दिनों तक खड़े रहे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य की बात ठीक है कि वहां पर बहुत लम्बे समय तक बिना बिजली की तार के खम्भे खड़े रहे और हमारी सरकार ने उन पर तारें लगवाई हैं।

श्री दरियाव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक सुहरा गांव है जहां पर बिना बिजली की तार के खम्बे खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस गांव के खम्बों पर बिजली की तार लगाने के बारे में विचार किया जाएगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, वैसे तो माननीय सदस्य श्री दरियाव सिंह का दो गांवों के बारे में क्वैश्चन था उनका मैंने हां में जवाब दिया है। बाकी ये लिख करके दे दें कि फलां गांव में खम्भे बिना तार के खड़े हैं उन पर हम तार लगवा देंगे।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के जिन गांवों में लोहे के पोल लगे हुए हैं क्या सरकार कोई ऐसी पोलिसी बनाएगी कि उनकी जगह सीमेंट के खम्भे लगा दिए जाएंगे ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, यह ठीक है कि बहुत सी जगहों पर लोहे के पोल खड़े हैं और लोहे के पोल में से करंट जल्दी पास हो करके दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हमारी सरकार ने पंचायतों से और जनप्रतिनिधियों से यह जानने की कोशिश की है कि जहां भी ऐसे लगता है कि डैनसिटी ऑफ पापूलेशन ज्यादा है, जहां पर आना जाना ज्यादा रहता है और वहां पर लोहे के पोल लगे हुए हैं तो उनको बदल दिया जाएगा, उनकी जगह सीमेंट के पोल खड़े कर दिए जाएंगे।

श्री पूर्ण सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी पोलिसी है कि ढाणियों में जहां पर 15-15 और 20-20 घर हैं उनको बिजली के कनैक्शन दिए जाएंगे ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, ढाणियों के लिए या नई बस्तियों के लिए जहां पर पोल नहीं है, उनमें लोगों ने बल्लियां खड़ी करके तार डाल करके सीधे बिजली के कनैक्शन ले रखे हैं। हमारी सरकार के पास धन की उपलब्धता होने के बाद, जो नई बस्तियां बसी हैं उनमें पोल लगाने की पोलिसी बनाने का सरकार का विचार है।

श्रीमती वीना छिब्बर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि शहरों में या गांवों में जिन घरों के ऊपर से हैवी वोल्टेज की तारें जा रही हैं उनको कब तक हटाने का सरकार का विचार है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, यह काम टाईम बाउंड तो नहीं हो सकता लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जहां भी लाल डोरे के अन्दर इस प्रकार की तारें होंगी उन तारों को उतरवा करके राइट ऑफ वे में जा करके आम रास्ते में लगवाएगी या रास्ता दे करके लगवाएगी और उसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। जो लाल डोरे से बाहर यह कार्य किया जाएगा उसका खर्चा इनडिविजुअल से लिया जाएगा।

श्रीमती वीना छिब्बर : अध्यक्ष महोदय, जहां मैं रहती हूं उस मकान के ऊपर से हैवी वोल्टेज की तारें जा रही हैं उनके बारे में पता करने के लिए आज तक वहां पर कोई नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप इसके बारे में मंत्री जी को लिख करके दे देना वह हट जाएंगी।

श्रीमती वीना छिब्बर : ठीक है जी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जहां पर सफेदे की लकड़ी के पोल लगे हुए हैं या बल्लियां लगी हैं और जिन पर तारें भी लगी हुई हैं उनको कब तक बदल दिया जायेगा और कुल कितने पोल ऐसे हैं जो लगे हुए तो हैं लेकिन उन पर तार नहीं लगी हुई।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, कुल 1483 पोल ऐसे हैं जिन पर अभी तक तार नहीं लगाई जा सकी हैं। उन पोल्ज पर धन की अवेलिबिलिटी पर तारें लगवाई जाएंगी और इस काम को हम फेजिज में पूरा करेंगे। जहां तक सफेदे की लकड़ी के पोल या बल्लियां लगाने की जो बात भागी राम जी ने कही इस बारे में मेरा कहना यह है कि ऐसे पोल पहले की सरकारों के समय में लगाये गये होंगे हमारे समय में तो बाकायदा लोहे/सीमेंट के बने हुए पोल लगाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : रामपाल जी भागीराम जी के पूछने का मकसद यह है कि हरियाणा में कुल ऐसे कितने पोल हैं जो पोल खड़े तो कर दिये गये हैं, तार भी गांव में पहुंच चुकी है लेकिन उन पर अभी तक तार नहीं लगाई गई है जिनकी लापरवाही की वजह से अभी तक वहां पर तारें नहीं लगाई गई हैं, क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, एक तरह से देखा जाये तो कार्यवाही तो पूरी हो चुकी है क्योंकि इन भाईयों को जनता ने एक तरफ बैठा दिया है। पहले की सरकार के समय में होगा कि पोल नहीं, तार नहीं हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास तार भी हैं और पोल भी हैं। हमारे पास सारा सामान उपलब्ध है। जहां पर पोल लग चुके हैं उन पर तार भी लगाई जा रही हैं। आज पूरा काम यौवन पर चल रहा है।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में एन0एच0टी0-1 से ब्रिस्टल होटल की तरफ गड्ढों में दोनों साईड में मिट्टी डाल दी गई है ताकि वे गड्ढे नजर न आयें। अब मिट्टी डाल कर उस पर घास लगा दी गई है। उसके ऊपर से बिजली की तारें जा रही हैं। उस जगह पर 7-8 फीट मिट्टी डाली गई। तारों की स्टैण्डर्ड हाईट 18 फुट रहती है। लेकिन जो लाईन वहां से गुजर रही है उनके तारों की हाईट मुश्किल से 16 फीट होगी। अभी तक वहां पर कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है लेकिन कभी भी कोई दुर्घटना तार नीचे होने के कारण हो सकती है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इन तारों की हाईट स्टैंडर्ड के अनुसार की जाये। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इस सवाल का अभी जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका जवाब देना इस वक्त मंत्री जी के लिए पोसिबल नहीं होगा।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जो पुराने खड्डे इनके समय के पड़े हैं वे सारे के सारे भरे जाएंगे। इनके समय में अगर कोई खम्बा लगा हुआ था तो उस पर तार नहीं थी या अधूरी तार लगी हुई थी तो कहीं पर मीटर नहीं थे या ट्रांस्फार्मर नहीं थे और जो थे वे जल जाते थे और उनको बदला नहीं जाता था। आज के दिन हमारे पास सारे सामान की खरीद हो चुकी है। हमारे पास तार भी हैं, पोल्ज भी हैं, ट्रांस्फार्मरज भी हैं और दूसरी जरूरत का सारा सामान आज के दिन हमारे पास है। (शोर एवं विघ्न)

प्रो0 राम भगत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि लाल डोरे के अन्दर बिजली की तार की शिफ्टिंग का काम सरकार अपने खर्च पर करेगी लेकिन लाल डोरे से बाहर के जो मकान हैं उनमें बिजली की तार व खम्बे मकानों के या प्लाटों के अन्दर लगे हुए हैं। उनको बदलने का खर्चा इनडिविजुअल से लिया जाएगा। इनमें से अधिकतर ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने खर्चे पर उनकी शिफ्टिंग नहीं करवा सकते क्योंकि उनकी शिफ्टिंग का खर्चा 50-50 हजार रुपये तक है और वे इतनी बड़ी अमाउंट खर्च नहीं सकते। वे गरीब एक एक एकड़ जमीन के मालिक बड़ी मुश्किल से हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन गरीब लोगों के प्लाटों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों की शिफ्टिंग सरकारी खर्च पर करवाने की कृपा करेंगे। जब बिजली की तारें बिछाई गई उस वक्त लोगों को बताया नहीं गया। उदाहरण के तौर पर मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। मेरे गांव का एक बहुत ही गरीब किसान है और वह मुश्किल से डेढ़ एकड़ जमीन का मालिक है। उसके मकान के बीच में खम्भे खड़े हुए हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसके लिए आप अलग से मंत्री जी से मिल लें। अगर कोई तार के नीचे मकान बना ले तो उसमें बिजली बोर्ड क्या करेगा। ?

Desilting in Beri Constituency

***392. Dr. Raghuvir Singh Kadian :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether desilting of the canals in Beri Constituency has been completed ; and

(b) if not, the time by which it is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्री मान् जी, बेरी विधान सभा क्षेत्र की नहरों की गाद निकालने का कार्य केवल रामपुर रजवाहे को छोड़कर माह नवम्बर व दिसम्बर, 2000 के दौरान पूरा कर लिया गया है।

(ख) रामपुर रजवाहे की गाद निकालने का कार्य 31-3-2001 तक पूरा होने की सम्भावना है।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मेरी नालेज के हिसाब से बराहाना माईनर, छोछी माईनर, सिवानी माईनर, काहनोर चिमनी माईनर और सिवाना माजरा माईनर की डीसिल्टिंग का काम अच्छी तरह से नहीं हुआ है जिसके कारण पिछले 2 साल से उनकी टेल पर पानी नहीं गया। मैं आपके माध्यम से सी0 पी0 एस0 से पूछना चाहता हूं कि इसकी डीसिल्टिंग का कार्य कब तक हो जायेगा।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कादयान साहब को बताना चाहूंगा कि नहरों की डीसिल्टिंग का सारा काम हमने डिपार्टमैंटल विंग से करवाया है अगर ये चाहें तो जो 15-16 माईनर्ज और सब-माईनर्ज की डीसिल्टिंग का काम करवाया है मैं उनके नाम भी हाउस में ही इनको बता देता हूं। (विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी0पी0एस0 साहब से यह कहना चाहूंगा कि जो सवाल पूछा है उसका ही स्पेसिफिक जवाब दे दें और नोट फॉर दि पेड न पढें। पढ़ने के लिए तो यहां पर किताबें बहुत पड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप इनको माईनर्ज के स्पेसिफिक नाम बता दें ताकि ये आपको जवाब दे सकें।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी सुविधा के लिए एक बार फिर से माईनर्ज के नाम बता देता हूं। बराहाना माइनर, छोछी माईनर, काहनौर चिमनी माईनर, और सिवाना माजरा माईनर यह तीन माईनर्ज मेरे हल्के बेरी की हैं, ये इनके बारे में बताने की कृपा करें कि क्या इनकी डी-सिल्टिंग की गई है या नहीं ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बात ठीक है कि कादयान साहब हमारी इस बात से सहमत हैं कि माईनर्ज की डीसिल्टिंग का काम हो गया है। स्पीकर सर, अगर इनको लगता है कि इनके यहां किसी माईनर की डीसिल्टिंग का काम नहीं हुआ है तो वह काम भी करवा देंगे। इसके साथ ही इनको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 4 लाख 76 हजार रुपये खर्च करके इनके हल्के की माईनर की डीसिल्टिंग का काम किया है। इसके साथ ही उन माईनर्ज की डीसिल्टिंग का काम विजिट करके मुझे बता दें या टैलीफोन पर मुझे सूचित कर दें तो मैं स्वयं वहां जा कर देख लूंगा और अगर काम नहीं हुआ होगा तो वह मैं करवा दूंगा (विघ्न)

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी0पी0एस0 साहब को यह बताना चाहूंगा कि यह केवल बेरी हलके से ताल्लुक रखने वाला प्रश्न नहीं है (विघ्न)। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जितनी भी नहरें और माईनर्ज हैं उनके बारे में विधिवत बताएं कि कौन-कौन से महीने में सरकार ने उनकी डीसिल्टिंग करवाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जिन माईनर्ज की डीसिलटिंग करवाती है उनके बारे किसी अधिकारी की ड्यूटी लगा कर इसको वैरिफाई करवाएगी कि यथावत उनकी सफाई हुई है या नहीं, क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी भगवान सहाय रावत को बताना चाहता हूं कि इनकी बात ठीक है लेकिन इस बारे में कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है कि सफाई कब-कब होनी चाहिए लेकिन लगभग हाड़ी और सावनी में नहरों की सफाई की जाती है।

सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस बात की तरफ रहा है कि डीसिल्टिंग होनी चाहिए। पानी माईनर की आखिरी छोर तक पहुंचना चाहिए ओर पानी पहुंचा भी है। जहां तक रावत साहब ने यह कहा है कि अधिकारियों द्वारा माईनर्ज का विजिट किया जाना चाहिए तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इतनी नहरें हैं, इतने रजवाहे हैं इतनी टेल्ज हैं सब पर विजिट नहीं हो सकता है। कोशिश करेंगे कि 5-7 जगह टेल्ज पर जा कर चैक करेंगे और इस बात की भी इवैल्युऐशन करेंगे कि जिन जिन माईनर्ज की डीसिल्टिंग का काम करवाया है वह हुआ है या नहीं ? हां यह बात ठीक है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। मेरे विरोधी पक्ष के भाई अपनी सरकार के समय में माईनर्ज की सफाई के नाम पर ऐस्टिमेट्स बनाते रहे हैं और वहां पर गाद भरी रहती थी और लिख देते थे कि सफाई का काम हो गया। हम इस प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा काम डिपार्टमैंट के थ्रू करवाया जाए। इस तरह के ऐस्टिमेट्स तो डीसिल्टिंग के कम से कम हों और नहरों की सफाई ज्यादा से ज्यादा हो और टैल तक पानी पहुंचे।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी डा० कादयान साहब को बताना चाहूंगा कि जो काहनौर चिमनी माईनर है उसकी छंटाई डेढ़ दो महीने पहले कम्पलीट हो चुकी है। ये साहब अपने इलाके में तो जाते नहीं हैं और यहां पर आकर सवाल पूछ लेते हैं। अगर चिमनी माईनर की छंटाई न हुई हो तो ये बता दें।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी बलबीर सिंह जी ने कहा है कि काहनौर और चिमनी मानईर इनके हलके में भी पड़ती है और वहां पर सफाई हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदन के पांच मैम्बरों की कमेटी बना दें। वे वहां पर जाकर चैक कर लें अगर वहां पर सफाई हो गई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर नहीं हुई हो तो ये इस्तीफा दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। आप इस्तीफा देने की बात न करें अगर मेरे पास इस्तीफा आया तो मुझे फौरन कार्यवाही करनी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं। इस मामले पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी जी को कहना चाहूंगा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है आप कल वहीं पर जाकर के माईनर को चैक कर लेना और यहां पर ईमानदारी से बता देना कि वहां पर सफाई हुई है या नहीं। अगर आप कह देंगे कि वहां पर सफाई नहीं हुई है तो मैं अपने आपको ता-जिन्दगी झूठा मान लूंगा। आप पहले वहां पर जाकर तो देखें। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, बलबीर सिंह जी की बात के बाद इस मामले पर बहस करने की कोई बात ही नहीं रह गई है। ये पहले वहां पर जाकर चैक तो करें। (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रशन संख्या 441

(इस समय माननीय सदस्या श्रीमती अनिता यादव सदन में उपस्थित नही थीं इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Opening of an I.T.I in Hodel

***352 Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Industrial Training Institute in Hodel ; and

(b) If so, the time by which the Industrial Training Institute, as referred to part (a) above, is likely to be opened ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) होडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या होडल में आई0 टी0 आई0 के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कार्यवाही की गई थी, अगर हां, तो क्या वह कार्यवाही बिना किसी योजना के की गई थी ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर आई0 टी0 आई0/वी0 आई0 के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ था। 1985-86 से 1993-95 तक वहां पर आई0 टी0 आई0 एक प्राईवेट बिल्डिंग में चलाई गई थी। लेकिन कैंडीडेटस ने वहां पर दाखिला नहीं लिया था जिसके कारण वहां पर कैंडीडेटस की हाजिरी पूअर होने की वजह से आई0 टी0 आई0 चलाने का आईडिया ड्राप कर दिया गया था।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी ने वहां पर आई0 टी0 आई0 की स्वीकृति दी थी और उसके तहत ही वहां पर जमीन ऐक्वायर करने की कार्यवाही की गई थी। भजन लाल जी और बंसी लाल जी के राज में उस स्कीम को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया था। वहां पर यू0 एन0 आई0 वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू की गई थी और वहां पर कैंडीडेटस की हाजिरी पूरी थी लेकिन उसके बारे में लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, हसनपुर और होडल में आज न तो कोई वोकेशनल इंस्टीच्यूशन है और न ही कोई आई0 टी0 आई0 है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के समय में वहां पर आई0 टी0 आई0 खोलने की मंजूरी दी गई थी। क्या सरकार इस बारे में दोबारा से विचार करके वहां पर आई0 टी0 आई0 खोलेगी ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा कि वह जमीन वी0आई0 के लिए ऐक्वायर की गयी थी न कि आई0 टी0 आई0 के लिए। इसके अलावा फरीदाबाद जिले में पहले से ही काफी वी0 आई0 और आई0 टी0 आई0 हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उस जमीन को सरप्लस डिक्लेयर करके दूसरे सरकारी कार्यालय खोलने की बात है। उदयभान जी का भी कुछ इसी तरह का विचार है इनका एक क्वैश्चन भी आया था जिसके जवाब में हमने बताया है कि वहां पर एस0 डी0 एम0 और डी0 एस0 पी0 का औफिस खोला जा सकता है। ये चाहते भी यही हैं। स्पीकर सर, यह मामला विचाराधीन है और सी0 एम0 साहब ने भी इसकी स्वीकृति दी हुई है।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माजरा साहब ने बताया कि मेरा इस बारे में एक प्रश्न था यह बात ठीक है मेरा वह प्रश्न समय की कमी की वजह से लग नहीं पाया है। लेकिन मंत्री

जी ने उसका आनसर पोजिटिव दिया है। अब यह बात इनके मुंह से भी आ गयी है। मैं चाहता हूं कि उस जमीन पर तो आई0 टी0 आई0 ही खोला जाए और एस0 डी0 एम0, डी0 एस0 पी0 व अन्य दूसरे ऑफिसिज के लिए अलग से भवन का निर्माण किया जाए। उसके लिए अलग से जगह ऐक्वायर की जानी चाहिए। आई0 टी0 आई0 की जगह पर आई0 टी0 आई0 ही बनाने की स्वीकृति दी जाए।

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो पूछा है उसके जबाव में माजरा साहब ने कहा है कि फरीदाबाद जिले में आस पड़ोस में आलरेडी वी0 आई0 और आई0 टी0 आई0 बहुत हैं। फरीदाबाद जिले में जो हसनपुर या होडल का एरिया है उनमें ये इंस्टीच्यूशंज आलरेडी हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी और हाउस भी इस बात को ऐप्रीशिएट करेगा कि आई0 टी0 आई0 फरीदाबाद में 640, आई0 टी0 आई0 पलवल में 392, आई0 टी0 आई0 हथीन में 212 स्टुडैंटस की स्ट्रैंग्थ है। इसी तरह से वी0 आई0 फरीदाबाद में 320, वी0 आई0 डिघोट में 160, वी0 आई0 पलवल में 120 स्टुडैंटस की स्ट्रैंग्थ है। इनके यहां पर जो आई0 टी0 आई0 था उसमें स्टुडैंटस की स्ट्रैंग्थ बहुत कम थी इसलिए उसको विदड्रा किया गया था। आस पड़ौस में इन इंस्टीच्यूशंज की सुविधा आलरेडी है इसलिए उस को बनाना आवश्यक नहीं समझा गया था। स्पीकर सर, अगर कोई आई0 टी0 आई0 वायबल नहीं होगा तो उस पर खर्च कैसे किया जाएगा। उस जिले में दो हजार के करीब बच्चे आलरेडी इन इंस्टीच्यूशंज में ऐजूकेशन ले रहे हैं। इसलिए माजरा साहब ने इस बारे में ठीक ही कहा है कि उस जमीन का इस परपज के लिए अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। इन्होंने वहां पर दफ्तर खोलने के लिए जो सुझाव दिया है वह अच्छा है इससे बढ़िया और क्या बात होगी।

Floods in Ratia Constituency

*** 469. Shri Jarnail Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the large area of Ratia Constituency is flooded by Ghaggar River during rainy seasons ; and

(b) if so, the steps taken so far or proposed to be taken to solve the aforesaid flood problem ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) रतिया विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष में घग्गर नदी से कोई ज्यादा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ।

(ख) रतिया विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ रोकथाम के लिए गांव के चारों तरफ रिंग बन्धों का निर्माण किया है। रंगोई नाले की क्षमता भी 1000 क्यूसिक्स से बढा कर 4000 कर दी गई है ताकि इस क्षेत्र को बाढ़ से राहत मिल सके।

श्री जसवीर सिंह मलौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का नग्गल भी बाढ़ प्रभावित एरिया है वहां पर पंजाब से बरसात का पानी और नालों का पानी आता है जो सबसे ज्यादा इस्माइलापुर एवं 35 दूसरे गांव को प्रभावित करता है। वहां पर एस0वाई0एल0 के जीरो प्वायंट पर चार नाके पिछले

[श्री जसबीर सिंह मलौर]

सात सालों से खुले हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पंजाब सरकार से साथ गवर्नमैंट टू गवर्नमैंट बात करके इन नाकों को बंद करवाएं। इसी तरह से उदयपुर ड्रेन को बनाने के बारे में भी हमने एक स्कीम हरियाणा सरकार को भेजी है। फ्लड कंट्रोल की मीटिंग में इस बार में एक ऐस्टीमेट भी बनाकर दिया था, क्या मंत्री जी इस ड्रेन को भी बनवाने के बारे में बताएंगे ताकि वहां के किसान बाढ़ से बच सकें।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की सरकार के मुखिया चौ0 ओम प्रकाश चौटाला की नीति है कि हरियाणा प्रदेश की जनता का बाढ़ से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन ऑवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गऐ तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Saving Ambala From Floods

*** 403. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to save Ambala Cantt. From the Flood; and

(b) if so, the time by which the above proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्री मान् जी।

(ख) यह योजना हरियाणा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की 32वीं बैठक में दिनांक 26-2-2001 को अनुमोदित की गई है और इसे तृतीय प्रथामिकता (अभी शुरु की जाने वाली) पर रखा गया है क्योंकि प्रस्तावित ड्रेन सैनिक छावनी के क्षेत्र से गुजरेगी तथा सेना प्राधिकरण ने प्रस्तावित रूप रेखा के अनुसार ड्रेन खोदने की सहमति नहीं दी।

Shortage of Irrigation Water in Bhiwani

***288. Shri Ram Kishan Fauji :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is an acute shortage of irrigation water in all canals of District Bhiwani for the last nine months; if so, the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं श्री मान् जी, मास अक्तूबर, 2000 तक पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध था। यद्यपि पिछले तीन मास से पानी की कमी है। इसका मुख्य कारण यमुना नदी तथा भाखड़ा जलाशय में पानी की कम उपलब्धि होना है।

Sub-Station in Mahendergarh

*** 379. Rao Dan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the 33 KVA new sub-station is likely to be set up in village Bawania and Mandola in district Mahendergarh; if so, when; and

(b) whether there in any proposal under consideration of the Government to upgrade the sub-station in Mahendergarh to 220 K.V.; if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जिला महेन्द्रगढ़ के बवानिया में एक नया 33 के. वी. उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव है। इसकी अनुमानित लागत 1.00 करोड़ रुपए है। यह उपकेन्द्र सितम्बर, 2001 में पूरा होना सम्भावित है। गांव मंदौला में इस समय 33 के.वी. उपकेन्द्र के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) महेन्द्रगढ़ में 220 के.वी. उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव है। जिसकी लागत लगभग 11.51 करोड़ रुपए है । इस उपकेन्द्र के निर्माण के लिए टर्न-की आधार पर पहले ही ठेका दे दिया गया है तथा कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगा। यह उपकेन्द्र वर्ष 2002-03 के अन्त तक पूरा होना सम्भावित है।

Construction of Matlauda Minor

*** 342. Shri Jai Parkash Barwala :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there in any proposal under consideration of the Government to construct Matlauda Minor if so, the time by which the said minor is likely to be constructed together with the total cost thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं श्री मान् जी। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Availability of Power

***346. Shri Bhupinder Singh Hooda :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the availability of power Haryana is getting from different sources daily as it stood on 31.1.2001; and

(b) details of distribution of available power to different categories i.e. Industry, Agriculture and domestic Sectors ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान दिनांक 31.1.2001 तक हरियाणा को विभिन्न स्रोतों से बिजली की औसत दैनिक प्राप्यता 451 लाख यूनिट थी।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान दिनांक 31.1.2001 तक कृषि, औद्योगिक, घरेलू तथा अन्य उपभोक्ताओं को बिजली की प्राप्यता का औसतन वितरण क्रमशः 47 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 21 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत रहा।

Setting up of An Oil Mill

***574. Rao Narender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up mustard oil mill at Narnaul; and if so, the time by which the above said mill is likely to be set up ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : हैफेड का नारनौल में सरसों की तेल मिल लगाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के ½ वर्ष के भीतर पूरा होने की सम्भावना है।

Setting up of 33 K.V. Sub-Station at Butana

***336. Shri Ramesh Kumar Khatak :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of 33 K.V. Sub-station, Village Butana in Baroda Constituency will be started alongwith the time to be taken in its completion ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : बड़ौदा चुनाव क्षेत्र के गाँव बुटाना में 33 के.वी. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य आगामी 6-8 महीने के अन्दर-अन्दर प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य मार्च, 2002 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Laying of Sewerage

29. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there in any proposal under consideration of the Government to lay sewerage in the following areas of Palwal City in the near future :

1. Krishna Colony
2. Sallagarh
3. Shyam Nagar
4. Tuhi Ram Colony
5. Dev Nagar
6. Sekhpura
7. Kalra Colony
8. Mohan Nagar
9. Resulpur Ext. Colony
10. Moti Colony
11. Kasba Mohalla
12. Line Pura
13. Jaindi Pura

if so, the time by which the laying of sewerage pipe line is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हां। पलवल शहर में, यमुना एक्शन प्लान के अधीन केवल मुख्य सीवरेज पाईप लाईन बिछाने की योजना है, जोकि निम्नलिखित कालोनियों में बिछाई जा चुकी है :-

कृष्णा कालोनी, लालागढ़, श्याम नगर, तुही राम कालोनी, देव नगर, सेखपुरा, कालड़ा कालोनी, रसूलपुर विस्तार कालोनी तथा मोती कालोनी।

मुख्य सीवर लाईन बिछाने की दोहराई हुई योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है, जिसमें कस्बा मोहल्ला, लाईन पुरा तथा जैंदी पुरा भी सम्मिलित हैं, जिसके स्वीकृत होने पर यह सीवर लाईन बिछाई जाएगी। मोहन नगर में मुख्य सीवर लाईन बिछाने की कोई योजना नहीं है।

Water Supply in Villages

30. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the water supply in the following villages of Palwal Constituency in the near future :

1. Alika
2. Pirthala
3. Baghola
4. Bamnikhera
5. Deeghot
6. Karna
7. Dhatir
8. Firozpur
9. Badha

(b) if so, the time by which the scheme referred to in part (a) above is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां, श्री मान् । निम्नलिखित गांवों में जलापूर्ति 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बढ़ौतरी करने का प्रस्ताव है :-

1. अलीका
2. बघोला
3. बामनी खेड़ा
4. डीघोट
5. कर्णा
6. धतीर
7. बाढ़ा

(ख) इन गांवों में कार्य प्रगति पर है और वित्त वर्ष 2001-2002 में पूरे होने की आशा है। शेष दो गांवों, पृथला और फिरोजपुर में जलापूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पहले ही बढ़ा दी गई है।

Construction of New Balana Minor

31. Shri Balwant Singh Maina : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct New Balana Minor in District Panipat, if so, the time likely to be taken for its completion?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्री मान् जी। 5.24 कि०मी० लम्बी नई बलाना माइनर इसराना डिस्ट्रीब्यूटरी के कि०मी० 4.68 बांए से 196.52 लाख के लागत से बनाने की योजना आर.आई.डी. एक पांच के भाग-1 के अन्तर्गत स्वीकृत हुई है। यह परियोजना एक वर्ष के दौरान पूरी होने की सम्भावना है।

Supply of Electric Meters

32. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of firms, if any, approved by the Haryana Vidyut Prasar Nigam for the supply of Electric Meters/Power Meters; and

(b) whether it is a fact that the firms referred to at (a) above have been rejected by the team of World Bank in the matter of some tenders called through World Bank by HVPN?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम तथा दो वितरण कम्पनियों और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम एंव हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के मध्य इन्टर यूटिलिटी मीटरों को लगाने के लिए मैसर्ज सैक्योर मीटरज लिमिटेड, उदयपुर से खरीदा है।

(ख) नहीं जी।

Procurement of Wheat and Paddy

33. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The total quantity of wheat and paddy arrived in the grain markets /procurement yards in the State during the year 1999-2000 and 2000-2001;

(b) The total quantity of wheat and paddy, out of the wheat and paddy referred to part (a) above was purchased by the procurement agencies of the State Government and Food Corporation of India at Minimum Support Price; and

(c) The details of the Commission and incidental charges claimed and received by the different State Procurement Agencies from the Food Corporation of India during the period referred to in part (a) above ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : बिन्दु अ, ब और स के बारे सूचना निम्न प्रकार से दी जाती है:-

(अ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में राज्य की मण्डियों/खरीद केन्द्रों पर गेहूं और धान की जो कुल आमद हुई, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

आमद				(आंकड़े टनों में)
वर्ष	गेहूं	लेवीएबल	बासमती	कुल
1999-2000	39,33,250	16,82,082	8,16,156	24,98,238
2000-2001	46,48,826	25,08,771	6,55,479	31,64,250

(ब) कुल आमद में से राज्य सरकार की खरीद संस्थाओं और भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कुल मात्रा निम्नप्रकार से है :-

गेहूं					(आंकड़े टनों में)
वर्ष	व्यापारियों की खरीद	राज्य की संस्थाओं की खरीद	भारतीय खाद्य निगम की खरीद	खरीद संस्थाओं की कुल खरीद	कुल जोड़
1999-2000	63,133	32,44,521	6,25,596	38,70,117	39,33,250
2000-2001	1,51,117	40,85,374	4.12,335	44,97,709	46,48,826

धान						(आंकड़े टनों में)
वर्ष	मिलर्ज/डीलर्ज की खरीद		राज्य की संस्थाओं की खरीद	एफ0सी0आई0 की खरीद	संस्थाओं की कुल खरीद	कुल जोड़
	लेवीऐबल	बासमती	लेवीऐबल	लेवीऐबल	लेवीऐबल	
1999-2000	1338276	816156	262272	81534	343806	2498238
2000-01	1148386	655479	1204480	155905	1360385	3164250

(स) भारतीय खाद्य निगम गेहूं के प्रेषण पर ही प्रासंगिक प्रभार अदा करती है तथा धान के लिए कोई प्रासंगिक प्रभार अदा नहीं करती क्योंकि इसका प्रेषण उन्हें नहीं किया जाता। खरीद किये गये धान से निकाले गये चावल को भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार द्वारा नियत किये गये मूल्य की दरों अनुसार प्रेषित किया जाता है। संस्थावार (भारतीय खाद्य निगम को छोड़कर) गेहूं तथा चावल के प्रेषण पर प्रासंगिक प्रभार तथा चावल की कीमत जिनके दावे भारतीय खाद्य निगम को किये गये तथा जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किये गये उनका विवरण साथ संलग्न किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में राज्य को खरीद संस्थाओं जैसे खाद्य विभाग, हैफड, एच0 डब्लू0 सी0, एग्रो इन्डस्ट्रीज व कान्फेड द्वारा प्रासंगिक प्रभारों तथा चावल की कीमत के दावे जो भारतीय खाद्य निगम को किये गये तथा उन द्वारा जो अदा किये गये के विवरण :-

गेहूं (दर रु0 प्रति क्विंटल)

अवधि	1999-2000 खाद्य निगम को किये दावे 50 किलो	95 कि0	खाद्य निगम द्वारा अदा किये गये 50 किलो	95 किलो	2000-2001 खाद्य निगम को किये दावे 50 किलो कैप	50 किलो कवर्ड	95 किलो कैप	95 किलो कवर्ड	खाद्य निगम द्वारा अदा 50 किलो कैप/कवर्ड	95 किलो कैप/कवर्ड
30 जून तक	100.23	97.45	100.23	97.45	105.93 104.26	106.29 106.62	102.15	104.51	100.23/100.23	97.45/97.45
एक जुलाई से 30 जून तक के दरों के अतिरिक्त दर (प्रेषण मास के आधे दर)	9.19 (प्रति मास)	9.09 (प्रति मास)	9.19 (प्रति मास)	9.06 (प्रति मास)	8.21 7.66 (प्रति मास)	9.39 8.87 (प्रति मास)	7.56 (प्रति मास)	8.76 (प्रति मास)	8.21/9.19 7.66/9.19 (प्रति मास)	7.56/8.76 9.06/9.06 (प्रति मास)

चावल (दर रु0 प्रति क्विंटल)

चावल की किस्म	चावल 1999-2000 खाद्य निगम को किये दावे कोमन	ग्रेड-ए	खाद्य निगम द्वारा अदा किये गये कोमन	ग्रेड-ए	2000-2001 खाद्य निगम को किये दावे कोमन	ग्रेड-ए	खाद्य निगम द्वारा अदा किये गये कोमन	ग्रेड-ए
रा चावल	884.14	934.86	884.14	934.86	899.18/941.33	950.06/994.59	899.18/941.33	950.06/994.59
पार ब्वाईल्ड चावल	879.159	929.13	879.59	929.13	694.15/935.42	943.84/987.40	894.15/935.42	943.84/987.40

प्रासंगिक प्रभार तथा चावल के दर भारत सरकार द्वारा अभी तक अस्थाई तौर पर ही नियत किये गये है। इनको खाद्य विभाग के वास्तव खर्च अनुसार बाद में नियत किया जायेगा तथा बकाया रकम चक्रवृद्धि ब्याज सहित राज्य की खरीद संस्थाओं को बाद में अदा की जायेगी।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

डा० रघुवीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, हमने आपकी सेवा में एक एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठ जाएं। (शोर)

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, देश में तहलका कांड के कारण तहलका मच गया है। देश को बचाएं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बोलेंगे या आपके साथी बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान) सभी लोग बैठ जाएं। एक-एक करके बोलें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज तहलका कांड सारे मुल्क के लिए बड़ा भारी चिंता का विषय है। देश में जितनी भी विधान सभाएं चल रही हैं किसी भी विधान सभा ने यह नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ। हर विधान सभा ने, हर प्रदेश ने इस वाकये को कंडम किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है देश की सुरक्षा का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप किस सब्जैक्ट पर बोल रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है। सारा काम रोककर उस पर डिस्कशन की जाए।

Mr. Speaker : The notice of adjournment motion regarding the security of nation has been disallowed.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में आपको लिखकर दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठ जाएं। जो नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है उसमें आपके दस्तखत नहीं हैं। मैं एक बार दोबारा से नोटिस को देखता हूं कि उस पर आपके साईन हैं कि नहीं। भजन लाल जी, मैंने यह नोटिस फिर देख लिया है इस पर आपके साइन नहीं हैं। मैं तो समझता था कि आपने इस पर दस्तखत किए होंगे लेकिन आपने इस पर दस्लखत नहीं किए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन को बहुत अच्छे ढंग से चलाया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इनको आपने कई बार कह दिया कि जिस भी सदस्य को अपनी बात कहनी है वह अपनी सीट से कह सकता है। मैं भजन लाल जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब से ये प्रक्रिया शुरु हुई है तब से आप विधायक रहे हैं, संसद सदस्य भी रहे हैं इस पर चर्चा में वही आदमी भाग ले सकता है जो सिग्नेटरी हो, यदि आपके दस्तखत हैं और आपको अध्यक्ष महोदय अलाऊ करते हैं तो आप बोलें।

चौधरी भजन लाल : मेरी पार्टी के सदस्यों के साथ ज्यादती हो तो क्या करूं। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष के नेता के नाते किसी भी इशू पर बीच में इंटरवीन कर सकते हैं लेकिन इस इशू पर इनके दस्तखत नहीं हैं तो ये नहीं बोल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजनलाल जी की पार्टी में बुद्धिमान लोग तो है नहीं इनको इस बारे में कौन बताये और चौधरी भजन लाल जी तो बुद्धिमानी से कोसों दूर हैं इनका तो कोई मेल नहीं है इसलिये इनको अध्यक्ष की बात को मान लेना चाहिये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को यह नहीं पता कि जो आदमी 12 साल तक लगातार सी0एम0 रहा हो उसके बारे में इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम तो इनको जब से मानते हैं जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप श्री रघुबीर सिंह कादयान जी को नहीं बोलने देंगे तो मैं बीच में इंटरवीन जरूर करूंगा क्योंकि मैं इनकी पार्टी का लीडर हूं।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के सदस्यों को इन पर भरोसा ही नहीं है क्योंकि इनकी पार्टी के मैम्बर्ज एक एडजर्नमैंट मोशन देते हैं और उस पर इनके साईन नहीं करवाते क्योंकि वे इनको अपना लीडर मानते ही नहीं हैं। पहले चौधरी भजनलाल जी आप अपने घर को सम्भालिये। पहले आप इनसे अपने आपको पार्टी का लीडर रिकोग्नाईज करवाईये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह को बजट की रिप्लाई देते समय मुख्यमंत्री जी ने ज्यादा नहीं बोलने दिया, अगर यह बात सही नहीं है तो यह कह दें।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको तो इनकी पार्टी के सदस्य अपना लीडर ही नहीं मान रहे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है कि आप किसी विपक्ष के सदस्य को बोलने का समय न दें।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी, आप बीच में इंट्रप्ट न करें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब आपने कर्ण सिंह दलाल को बोलने की इजाजत ही नहीं दी है तो वे कैसे बोल सकते हैं ? चौधरी भजनलाल जी आप चेयर पर आक्षेप नहीं कर सकते। यह सही बात है कि आपके अपनी पार्टी के साथी आपकी बात नहीं मानते। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र बरकरार रहे लेकिन प्रजातंत्र में यह निहायत जरुरी है कि किसी पार्टी में अनुशासनहीनता न हो इस प्रकार का अनडिसिपिलन हमने तो कभी नहीं देखा। चौधरी भजन लाल जी अपनी पार्टी के सदस्यों को कंट्रोल कीजिये नहीं तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? जब आपकी पार्टी के सदस्य ही आपको अपना नेता नहीं मान रहे तो सदन आपको कैसे मानेगा। जब घर में ही पूछ नहीं होगी तो बाहर कौन करेगा ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है आज सुबह साढे छः बजे श्री रघुबीर सिंह कादयान ने मुझे फोन पर कहा कि हम एडजर्नमैंट मौशन देना चाहते हैं तो मैनें कहा कि ठीक है दे दो। मैं पंचकूला में रहता हूं इसलिए मैंने कहा कि चण्डीगढ़ आकर साईन कर दूंगा यहां पर आया तो हाउस शुरू हो चुका था।

श्री अध्यक्ष : जो भजनलाल जी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय * * * *

नगर एवम् ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जो विषय हरियाणा विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता उसके बारे में सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिये। इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : रूलिंग कल दी जा चुकी है।

श्री धीरपाल सिंह : ठीक है स्पीकर सर।

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Speaker Sir, I would like to draw your attention towards Rule-66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly which says :-

> "Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker."

स्पीकर सर मैंने और पांच दूसरे एम०एल०एज० ने आपकी सेवा में एक एडजर्नमैंट मोशन दिया था कि जो तहलका काण्ड हुआ है, उससे देश की आजादी को खतरा है। जिस के लिये हमारे शहीदों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आज प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि दाल में कुछ काला है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रघुबीर सिंह कादयान जी, आपका एडजर्नमैंट मोशन कल डिसअलाऊ कर दिया गया था।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, यह कांस्टीच्यूशनल ब्रेक डाउन है। इस एडजर्नमैंट मौशन में हरियाणा के हित इंवोल्वड हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य मेरी परमीशन के बगैर बोलें वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठें। आप इस इशू को डिसाइड करना चाहते हैं या शोर करना चाहते हैं। इस इशू के बारे में पहले ही डिसाइड कर दिया गया है कि यह सैन्टर का सब्जैक्ट है, स्टेट का सब्जैक्ट नहीं है इसलिए इसको डिसअलाऊ किया जाता है। उस इशू पर डिस्कशन करें जिस पर हम कोई एक्शन ले सकते हैं। हम उसी इशू पर डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि वह डिसअलाऊ हो चुका है। आप सभी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय माननीय सदस्य डा० रघुबीर सिंह कादयान और श्री जय प्रकाश हाउस की वैल में आ गए)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी पार्टी के सदस्यों की बात तो सुनें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं एक बार सभी मैम्बर्ज से अनुरोध करुंगा कि सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। जो भी मैम्बर बिना परमीशन के बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य हाउस की वैल में आ गए और जोर 2 से नारेबाजी करने लगे)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपकी पार्टी के सदस्यों को हाउस में इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। आप विपक्ष के नेता हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के सदस्य आपकी बात को नहीं मानते। आप उनको कहें कि वे अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि सदन में उसी सब्जैक्ट पर डिस्कशन की जाये जो अंडर कंसिड्रेशन है उससे बाहर की बात न करें। कृप्या आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। सदन की वैल में खड़े होकर मैंबर साहेबान जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान) कृप्या आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : * * * * *

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। आप सभी बैठें। मैं ऐडजर्नमैंट मोशन पर अपनी रूलिंग देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Members, a notice of Motion for Adjournment of the Assembly under Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, was received by me from Shri Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 14-3-2001, the consent for which was refused by me to raise/discuss the matter in this august House. Today *i.e.* 15-3-2001, the notice of Motion for Adjournment under Rule 66 has also been received by me from Shri Raghubir Singh Kadian and five other M.L.As. on the same subject/matter. After going through the notice and also the rules, practice and procedure, I found that the matter proposed to be discussed is not in order as the same does not fall within the responsibility of the State Government as provided in Rule 68(iv) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly and the consent to raise/discuss the similar matter was refused on 14-3-2001. Therefore, I refuse my consent to raise/discuss this matter in this august House.

डा० रघुबीर सिंह कादयान : * * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो मेरी इजाजत के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से आग्रह करुंगा कि वे अपने मैंबरान को कहें कि वे अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। मेरी भी सभी से प्रार्थना है

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कि वे अपनी सीटों पर बैठें। मैं इस सारे प्रकरण को सदन के सामने रख देता हूं अगर उससे ये संतुष्ट हो जायें तो ठीक है, नहीं तो बाद में अपनी बात कह लेंगे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी बहुत पुराने पौलिटीशियन हैं, ये लोक सभा के मैंबर भी रहे, केन्द्र में मंत्री और हरियाणा के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। चौधरी बंसी लाल जी भी केन्द्र में रक्षा मंत्री रहे हैं और यहां पर मुख्य मंत्री भी रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकरण का यहां जिक्र किया गया है उसमें न तो प्रधान मंत्री जी शामिल हैं और न ही कोई दूसरा मंत्री शामिल है। (शोर एवं व्यवधान) इसमें ब्यूरोक्रेटस के नाम ही हैं। अगर जार्ज फर्नाडीज जी से इस्तीफा मांगा गया है तो वह इसलिये मांगा गया है कि यह मामला डिफैन्स से जुड़ा हुआ है। उनके खिलाफ डायरैक्ट ऐलीगेशन कोई नहीं है और न ही प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई ऐलीगेशन है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आपके माध्यम से भजन लाल जी से ही पूछता हूं कि इनकी पार्टी के ही एक सम्मानित सदस्य ने सदन में अखबार लहराते हुए हरियाणा सरकार के दो अधिकारियों का उल्लेख किया है। क्या भजन लाल जी उस सम्मानित सदस्य की बात से सहमत हैं ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे ही पूछता हूं कि डाक्टर रघुबीर सिंह कादयान ने हरियाणा प्रदेश के दो वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारियों का तहलका डाट.काम. कांड में इन्वोलव होने का जिक्र किया है, क्या भजन लाल जी उसकी बात से सहमत हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो अखबार में लिखा है हमने वही बताया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : अब अखबार झूठा हो गया है क्या ? (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अखबार में जो लिखा है हमने बताया है। (शोर) सच्चा है या झूठा है वह हमने नहीं बताया है। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो भजन लाल जी से ही पूछ रहा हूं कि क्या ये उनकी बात से सहमत हैं? (शोर) अगर मेरा सवाल पोजिटिव है तो आप उसका नैगेटिव जवाब क्यों देते हैं ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : रघुबीर सिंह जी, चौधरी भजन लाल जी इस बात से सहमत नहीं हैं। अब आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष जी, अब मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी से पोजिटिव बात पूछना चाहता हूं । (शोर)

चौधरी भजन लाल : ठीक है, पूछिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष जी, पहले तो भजन लाल जी यह बतायें कि रघुबीर सिंह कादियान इनकी पार्टी का है या नहीं। (शोर)

चौधरी भजन लाल : हां, हमारी पार्टी का है, बल्कि पार्टी का सीनियर लीडर है । (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, क्या वे पार्टी के अनुशासन में रहते है और क्या वे आपके कंट्रोल में रहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप बैठिए। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन में मैंने बहुत विस्तार से सारी बातें रख दीं। जहां राजनेताओं की चर्चा होती है, सरकार से जुड़े मंत्रियों की चर्चा होती है, चौधरी बंसी लाल जी भी इसका उल्लेख कर दें कि प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के खिलाफ कोई बात हो तब भी यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा की बात का चर्चा यहां किया जाए। यह हमारा प्रादेशिक मामला है। तहलका डॉट.कॉम. कांड में प्रधानमंत्री इन्वोलव नहीं है, कोई मंत्री इन्वोलव नहीं है, केवल नौकरशाह इन्वोलव हैं और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, इन्कवायरीज़ हो गई हैं, सस्पैंड किये जा चुके हैं। अब रघुबीर सिंह कादियान यह चाहते हैं कि हरियाणा के जो दो अधिकारी इन्वोलव हैं उस के बारे में इनको जानकारी दी जाए। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए। यह हम आपके माध्यम से भजन लाल जी से पूछते हैं। भजन लाल जी, बेशक रघुबीर सिंह जी को सीधा बता दें। (शोर)

चौधरी भजन लाल : बता देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कब बता देंगे ? भजन लाल जी, आप खड़े होकर बताओ। तुरन्त बताओ। (शोर) चौधरी भजन लाल जी, आप खड़े होकर बोलें। पहले आप इस बात को क्लीयर करो। आगे की कार्यवाही फिर करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो धर्मबीर सिंह जी बोल रहे है, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सवाल पार्टी का नहीं है। (शोर) यहां पर गैर सरकारी लोगों की चर्चा नहीं हैं। (शोर) सिर्फ सरकार से जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंधित मामला है। फौज के जिन सरकारी अधिकारियों का उल्लेख किया गया है उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है। इसलिये यह विषय चर्चा का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर बुद्धि की थोड़ी कमी है तो चौधरी बंसी लाल जी से पूछ लें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर ऐसा नहीं है कि साधारण मामला हो। यह बहुत सीरियस मामला है और इसलिये सीरियस है चूंकि चाहे कोई अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो या फिर कोई सियासी आदमी हो जिसका भी कसूर हो उसमें मेन जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और केन्द्र सरकार में भीगीदारी किसकी है ? केन्द्र सरकार में भागीदारी चौटाला साहब की पार्टी की है। जो सरकार यहां चल रही है उसकी भी है। (शोर एवं व्यवधान) अफसरों का नाम कहते हैं (शोर) अफसरों से भी ये लोग कह कर काम कराते हैं और लोगों के साथ ज्यादती कराते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष :-भजन लाल जी, अब रूलिंग आ चुकी है इसलिये इस संबंध में आप ज्यादा न बोलें। (शोर एवं व्यवधान) हम ऐसा कोई टोपिक यहां डिस्कस नहीं करेंगे जो हमारे परव्यू में न हो। कांग्रेस पार्टी ने बी0जे0पी0 का दफ्तर फूंक दिया है। (शोर) हम उस बारे में भी किसी को कोई बात करने के लिये यहां अलाउ नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) ऐसे टोपिक यहां अलाउ नहीं होंगे जिन पर हम कोई एक्शन न ले सकें और कोई कार्यवाही नहीं कर सकें। भजन लाल जी, अब आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भजन लाल जी से एक बात जानना चाहूंगा। भजन लाल जी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का केस चला था, क्या इस सदन में उस पर कोई चर्चा हुई थी ? यह बात मैं भजन लाल जी से ही पूछता हूं। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं चला। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी तक अदालत में वह केस चल रहा है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, आप हमारी एडजर्नमैंट मोशन को एडमिट करें। यह मेरे पास रूल्ज औफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस की किताब है। मैं आपके सामने इसका रूल कोट करना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने सारे रूल्ज देख लिए हैं। कृपया आप बैठ जाएं। (शोर)

वाक आउट

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारा एडजर्नमैंट मोशन एडमिट नहीं करते और हमें बोलने नहीं देते तो हम ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में सभी उपस्थित माननीय सदस्य और नैशनेलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक आउट कर गए)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 11 from Capt. Ajay Singh regarding mixing of sewerage water with the drinking water in the several colonies of Rewari City. I admit it. He may read his notice.

एक आवाज : स्पीकर साहब, वे सदन से वाक आऊट करके चले गये हैं।

नियम 15 के अधीन, प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will move the motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved -

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is --

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन, प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will move the motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move--

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sind-die.*

Mr. Speaker : Question is--

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखा गया कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay paper on the table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table of the House the Memorandum of action taken on the findings of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes dated the 17th January, 2001 in respect of Shri Anil Kumar, IAS, as required under Clause (7) of Article 338 of the Constitution of India.

समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना

(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 50वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagi Ram (Chairperson, Committee on Public Accounts) will present the Fiftieth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2000-2001, on the report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994 and 31st March, 1995 (Remaining Paragraphs) and 31st March, 1996 (Civil and Revenue Receipts).

श्री भागी राम (चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति) : स्पीकर साहब, मैं 31 मार्च, 1994 तथा 31 मार्च, 1995 (शेष पैराग्राफ्स) तथा 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियां) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2000-2001 के लिए लोक लेखा समिति की 50वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(ii) पब्लिक अडरटेकिंग्ज कमेटी की 45वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Balwant Singh (Chairperson), Committee on Public Undertakings, will present the Forty-Fifth Reprot of the Committee on Public Undertakings for the year 2000-2001 on the General Working of Haryana Minerals Limited.

श्री बलवंत सिंह मायना (चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति) : स्पीकर साहब, मैं हरियाणा खनिज लिमिटेड के सामान्य कार्य पर वर्ष 2000-2001 के लिए लोक लेखा उपक्रमों संबंधी समिति की 45वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(iii) पब्लिक अडरटेकिंग्ज कमेटी की 46वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Balwant Singh Maina, Chairperson Committe on Public Undertakings, will present the Forty-Sixth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2000-2001 on the General Working of Haryana State Pollution Control Board.

श्री बलवन्त सिंह मायना (चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति): स्पीकर साहब मैं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सामान्य कार्य पर वर्ष 2000-2001 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 46वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(iv) पब्लिक अडरटेकिंग्ज कमेटी की 47वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Balwant Singh Maina Chairperson, Committee on Public Undertakings, will present the Forty-Seventh Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2000-2001 on the General Working of Haryana Urban Development Authority.

श्री बलवन्त सिंह मायना (चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति) : स्पीकर साहब, मैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सामान्य कार्य पर वर्ष 2000-2001 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 47वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(v) पब्लिक अडरटेकिंग्ज कमेटी की 48वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Balwant Singh Maina, Chairperson, Committee on Public Undertakings, will present the Forty-Eighth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2000-2001 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1995-96 to 1997-98 (Commercial).

श्री बलवन्त सिंह मायना (चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति) : स्पीकर साहब, मैं वर्ष 1995-96 से 1997-98 (वाणिज्यिक) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2000-2001 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 48 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(vi) वैल्फेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राईब्स एंड बैकवर्ड क्लासिज कमेटी की 25वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Nafe Singh Jundla, Chairperson, Committee on the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Twenty-Fifth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2000-2001.

Shri Nafe Singh, Jundla (Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes) : Sir, I beg to present the Twenty-Fifth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward Classes for the year 2000-2001.

(vii) एस्टिमेटस कमेटी की 32वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Krishan Lal Panwar, Chairperson, Committee on Estimates, will present the Thirty-Second Report of the Committee on Estimates for the year 2000-2001 on the Budget Estimates for 1999-2000 Public Works Department (B&R) and for 2000-2001 Tourism Department.

श्री कृष्ण लाल (चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति) : स्पीकर साहब, मैं वर्ष 1999-2000 के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) तथा 2000-2001 के लिए पर्यटन विभाग के बजट अनुमानों पर वर्ष 2000-2001 के लिए प्राक्कलन समिति की 32वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(viii) गवर्नमैंट अश्योरैंसिज कमेटी की 31वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Mange Ram Gupta, Chairperson, Committee on Government Assurances will present the Thirty-First Report of the Committee on Government Assurances for the year 2000-2001.

(As Shri Mange Ram Gupta Chairperson, was not present in the House Shri Jasbir Singh Mallour, a member of the Committee presented the Report.)

श्री जसबीर सिंह मलौर (सदस्य, सरकारी आश्वासनों पर समिति) : स्पीकर साहब, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए सरकारी आश्वासनों पर समिति की 31 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

विधान-कार्य

1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न0 1) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof Sampat Singh) : Sir, I beg to intoduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2001.

Sir, I also be to move-

> That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

2. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 2) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Apropriation (No. 2) Bill, 2001.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

3. दि हरियाणा कैटल फेयर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill, 2001.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Cattle Fairs (Amendement) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Cattle Fairs (Amendement) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill, 2001.

Sir, I also beg to move-

> That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is -

> That the Societies Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

5. दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एंड कंट्रोल्ड, एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं-

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनयिमति विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment), Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment), Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the Town & Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

6. दि हरियाणा मुर्रा बुफैलो एंड अदर मिल्च ऐनीमल ब्रीड (प्रिज़रवेशन एंड डिवैलपमैंट ऑफ ऐनीमल हस्बैंडरी एंड डेरी डिवैलपमैंट सैक्टर) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Animal Husbandry will introduce the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

पशुपालन राज्य मंत्री (चौधरी मौहम्मद इलियास) अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मुर्रा भैंस तथा अन्य दुधारु पशु नस्ल (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं-

कि हरियाणा मुर्रा भैंस तथा अन्य दुधारु पशु नस्ल (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is -

That the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 17

Mr. Speaker : Question is-

That Clauses 2 to 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Animal Husbandry will move that the Bill be passed.

पशुपालन मंत्री (चौ0 मौ0 इलियास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर कुछ कहना है। इस बिल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा। पिछले दिनों हरियाणा का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से उनके निवास पर मिला था और उसके बाद समाचार पत्रों में भी छपा था कि अगले सदन में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का बिल लाया जाएगा और उसको पास कराया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह बिल कब आएगा। हमारा यह मानना है कि मेवात इलाके में जो गौहत्या हो रही है वह बड़ी तादाद में हो रही है अगर वह बिल आता तो उस गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग सकता था।

वित्त मंत्री (प्रो0 संपत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री कृष्ण पाल गुज्जर ने जो सवाल किया है इस बिल का उससे कोई संबंध नहीं है यह तो केवल मुर्रा नस्ल की भैसों के बारे में है जो कि हरियाणा प्रदेश की धरोहर हैं और धीरे-धीरे करके खत्म होती जा रही थीं। इसलिए स्पीकर सर, यह ड्यूटी लगाई है ताकि इस नस्ल को बचाया जा सके। इनके लिए इनाम भी रखे गए थे तब भी यह नस्ल लुप्त होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी इस वजह से यह किया गया है। जहां तक गौहत्या की बात थी आप हमें सुझाव देते। आप भी गवर्नमैंट के पार्ट एंड पार्शियल है। जब सैशन शुरु हुआ था उस समय आप सुझाव दे देते। आप हमें सुझाव देना, लिखकर देना आपकी बात पर पूरा गौर करेंगे। आज तो मुर्रा भैसों का जिकर है।

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

7. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2001 प्रस्तुत करता हूं-

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं-

कि नगर पालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है इसका काफी दिन से वैसे भी शहरों में शोर है और मैं समझता हूं कि इसको इतनी जल्दी रश थ्रू नही करना चाहिए। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को सौंप दें और वह कमेटी शहरों में जाकर लोगों की तकलीफ को सुन ले उसके बाद इस पर जो कुछ कार्यवाही करना चाहें वह कर लें। सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये आर्डिनैंस करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन शहरों के लोगों की तकलीफों को सुनने का मौका जरुर दिया जाए। इस अमैंडमैंट से शहरों के लोग बहुत भयभीत हैं यह अमैंडमैंट हो जाने से शहरों के लोगों को भारी परेशानी होगी। इसलिए इस बिल को इस सदन में पास नहीं करना चाहिए, जब तक कि लोगों की बात न सुनी जाए।

वित्त मंत्री (प्रो0 संपत सिंह) : चौ0 बंसी लाल जी, आप भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता की बात सुनने के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सैशन में बुलाया जाता है। चौधरी साहब आपका जो सुझाव देना है वह दे दें, हम उसका स्वागत करेंगे। आप भी जनता की भावनाओं को रिप्रजैन्ट करने के लिए आए हैं। आप जो बात कहेंगे उसका जवाब दे देंगे और कोई बात जंचने वाली होगी तो उसको इसमें जोड़ लेंगे वैसे भी इस बिल में ऐसी कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है कि इसको सिलैक्ट कमेटी को सौंपा जाए।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हर शहर के हर व्यक्ति की अलग अलग किस्म की तकलीफ है उन तकलीफों को सिलैक्ट समेटी मौके पर जाकर सुनेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार आप उनकी बातें और समस्याएं सुन तो लें।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : यह सुन समझ कर ही किया है।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं चौ0 बंसी लाल जी को बताना चाहूंगा कि पांच नगरपालिकाओं का पहले सर्वे करवाया गया था उस सर्वे के मुताबिक तकरीबन ऐसे हाउसिज़ हैं जिनके ऊपर टैक्स की कोई बढ़ोतरी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, यह अमैंडमेंट हम इसलिये करवा रहे हैं क्योंकि हम जैसे पहुंच वाले व्यक्ति जिनकी ऊंची पहुंच है वे कर्मचारियों की मिली भगत से अपने मकानों की असैसमेंट कम करवा लेते हैं वह अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। वही लोग इस अमैंडमेंट के बारे में शोर मचा रहे हैं। उनका शोर करना भी वाजिब है क्योंकि वे अब अपने मकानों की असैसमेंट मिली भगत से कम नहीं करवा सकेंगे। जो आम नागरिक हैं उन पर इस अमैंडमैंट से ज्यादा वित्तीय भार नहीं आयेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हो सकेगी। एक समान मकान वाले और एक समान स्थान वाले एक समान कर दे सकेंगे। ऐसी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और उस सोच के अनुसार ही हमने सर्वे करवाकर यह अमैंडमेंट किया है।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार यह अमैंडमेंट बिल ला रही है जिससे कि हाऊस टैक्स के मामले में रैशनलाइज़ेशन हो जायेगा और सभी एक जैसे मकानों का एक जैसा टैक्स हो जायेगा। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं इस अमैंडमेंट की क्लाज 2(1) सी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है

> "in the case of any house or building whether self-occupied or tenanted, five percentum on the sum obtained by adding the estimated present cost of erecting the building, less such amount as the Government may deem reasonable to be deducted on account of depreciation, if any, to the estimated market value of the site and any land attached to the house or building"

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सैल्फ आक्यूपाइड हाउसिज़ हैं और रैंटिड हाउसिज़ हैं उनको एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। जो सैल्फ आक्यूपाइड हाउसिज़ हैं उनको नागरिक अपने इस्तेमाल के लिये बनाते हैं और जो रैंटिड हाउसिज़ हैं उनको नागरिक किराया इकट्ठा करने के लिये बनाते हैं इसलिये इन दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इसलिये जो सैल्फ आक्यूपाइड हाउसिज़ हैं उनको कुछ रियायत जरूर दी जानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि हमने पांच प्रतिशत सर्वे करवाकर यह अमैंडमेंट किया है और उसमें पाया है कि 60 से 70 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मैंने मंत्री जी के साथ बैठकर भी इस बारे में चर्चा की है और मैंने अपने एरिया के कुछ हाउसिज़ की टैक्स कलैक्शन करके देखी है उसमें यह पाया है कि 10 घरों में से 9 घरों का तीन से चार गुणा टैक्स बढ़ रहा है। इसलिये उसको कम किया जाना चाहिये। पांच प्रतिशत टैक्स ज्यादा है उसको कम किया जाना चाहिये। रैशनेलाइज़ेशन होना चाहिये उसका मैं समर्थन करता हूं। सरकार को टैक्स के मामले में चूना नहीं लगना चाहिये लेकिन सबको एक समान रखा जाना चाहिये, उसका मैं स्वागत करता हूं। यह जो अमैंडमेंट बिल ला रहे हैं उसमें टैक्स कलैक्शन ज्यादा है उसको कम किया जाना चाहिये। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अम्बाला कैंट का जो स्टेट्स है उसको बरकरार रखना चाहिये। आज यह सरकार जो टैक्स लगा रही है यह टैक्स चुंगी हटाने के एवज में लगा रही है। जब अम्बाला कैंट को काटकर म्यूनिसिपल कमेटी बनाई तो 5 फरवरी, 1977 को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में एक एग्रीमेंट

[श्री अनिल विज]

हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत सरकार अम्बाला कैंट से चुंगी लेती थी जिसको म्यूनिसिपल कमेटी कलैक्ट कराती थी और उसको कैन्टोनमैंट बोर्ड को दिया जाता था। उसमें एक कंडीशन थी :-

> The Collection of Octroi in respect of the area within the Cantonment as well as the NAC, shall be entrusted to the NAC subject to the condition that the NAC shall pay to the Cantonment Board a sum of Rs. 11,32,960/- per annum from the date of excision. The NAC shall make provision in this regard in their budget estimates."

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सैंटर गवर्नमेंट के बीच में हुआ था उसको यूनीलेटरली तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो अम्बाला कैंट और सरकार के समझौते के बीच में लीगल लकूना आ जायेगा और कठिनाई पैदा हो सकती है। जब 22-23 कंडीशन्ज़ हैं, अगर हम उन कंडीशंज को वाईलेट करते है तो ठीक नहीं होगा इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि अगर अम्बाला कैन्टोनमैंट बोर्ड चुंगी लगाता है तो उस का भार म्यूनिसिपल कमेटी पर पड़ेगा। अम्बाला छावनी में चुंगी लगाने के बारे में अम्बाला कैन्टोनमैंट बोर्ड ने सरकार को कोई पत्र लिखा है या नहीं इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। मैंने पत्र तो नहीं देखा लेकिन मुझे बताया गया है कि कैन्टोनमैंट बोर्ड वाले अपने क्षेत्र में दोबारा चुंगी लगाने जा रहे हैं। हमनें चुंगी लगानी बन्द कर दी है। आज अगर वे चुंगी लगाते हैं तो हमें भी सभी तरफ से राहदारी लेकर उसको किसी न किसी प्रकार से उसका भार वहन करना पड़ेगा। इससे हमें टैक्स की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि अम्बाला कैन्ट के बारे में विशेष तौर पर जो सैल्फ आक्यूपाइड हाउसिज़ हैं यानी जिन्होंने खुद अपने मकान बनाए हैं या जो लोन लेकर मकान बना रहे हैं उनको हाउस टैक्स में रिबेट दें ताकि उनको इसमें कुछ राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जो यह 5 प्रतिशत हाउस टैक्स लगाया है अगर इसको कम करके 2 या 3 प्रतिशत कर दें तो उससे नगरपालिका को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने पर उसको लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे और सभी लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की इस नीति का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल : (पलवल) अध्यक्ष महोदय, लोकल बोडीज मिनिस्टर हरियाणा म्यूनिसिपल अमैंडमैंट बिल 2001 लाए हैं। इस बिल के बारे में चौ0 बंसी लाल जी ने और श्री अनिल विज जी ने भी अपने सुझाव दिए हैं, यह एक महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि आज हरियाणा के अन्दर प्रथा ऐसी चल पड़ी है कि गांवों में रहने वाले लोग जिस किसी के पास जरा सी भी साधन की गुंजाइश होती है तो वे गांव छोड़कर शहरों में मकान बनाने की तरफ भाग रहे हैं। देखने में यह आया है कि हरियाणा के जितने भी शहर हैं उनमें गांव जैसा स्वरूप बनता जा रहा है। जैसा गांवों में माहौल होता था, वही माहौल अब फिर से शहरों में होता हुआ नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है कि शहरों के सुधार के लिए कोई न कोई बिल सरकार को लाना चाहिए। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि शहरों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलें, उन पर एक समान टैक्सिज़ लगें। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के मनों में टैक्सिज के नाम पर डर है। मैं कहना चाहूंगा कि यह अच्छा होगा कोई कमेटी बनाएं जिसमें हरियाणा के इलैक्टिड म्यूनिसिपल कौंसलर्ज़ को सम्मिलित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्पत सिंह जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ दिनों के लिए इस बिल को पैण्डिंग

रख लें। इस सरकार ने जो कम्प्यूटर सिस्टम चलाया है उसके तहत ये लोगों को अपना कम्प्यूटर का कोड या नं0 बताएं ताकि उस पर तमाम हरियाणा के लोग केवल टैक्सिज़ के बारे में नहीं बल्कि और भी जो दिक्कतें हैं जैसे पानी की या सीवरेज की उनको कम्प्यूटर पर देख सकें। अध्यक्ष महोदय, आज शहरों में देखने में आता है कि पुराने म्यूनिसिपल एरियाज की जो सड़कें हैं, वे चौड़ी हैं लेकिन आज हरियाणा के अन्दर प्रोपर्टी डीलर्ज़ ने पिछले कई सालों से एक रैकेट बना रखा है, वे जमीनें खरीद लेते हैं और फिर मनमाने ढंग से उसको बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी, अब आप बैठिए। आप बिल पर बोलने की बजाय कोई और ही भाषण देने लगे हो।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। आपका पानीपत शहर बहुत बड़ा है, वहां हुड्डा की कालोनीज हैं, माडल टाऊन हैं, वहां के रहन सहन का तरीका और है। लेकिन बाद में जो लोग अपनी मनमर्जी से मकान बना लेते हैं, उन लोगों का रहना तो गांवो से भी बदतर हो रहा है। इसलिए इस बिल को इकट्ठा लाएं ताकि हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़ सकें और इन टैक्सिज़ के मामले में ये लोगों से सुझाव लें और इसके ऊपर विधान सभा की, अधिकारियों की और म्यूनिसिपल कौंसलर्स की एक कमेटी बनाएं और वह कमेटी जो सुझाव दे उसके अनुसार तभी इस बिल को लाएं।

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आपने इस अमैंडमेंट में कोई अनोमिली तो नहीं बताई।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ 2 की सब क्लाज़ (1) (b) है जिसमें लिखा है—

> "(b) in the case of any land on which no building has been erected, but on which a building can be erected, and on any land on which a building is in the process of erection, five per cent of the estimated market value of the land."

इनको कैसे पता लगेगा कि इन जमीनों पर बिल्डिंग नहीं थी और इरैक्ट हो गई है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब जोन बने होते है कि कौन सी जमीन एग्रीकल्चर के लिए है, कौन सी जमीन इण्डस्ट्रीयल ऐरिया के लिए है या कौन सी जमीन रैज़ीडैंशियल है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, इस बिल के पास होने के बाद इनको हथियार मिल जायेगा कि ये अपनी मन मर्जी से खाली प्लाट पर टैक्स लगायेंगे।

श्री कृष्णपाल (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हरियाणा की शहरी जनता पर पहले ही तरह-तरह के टैक्स लगे हुए हैं। मैने बजट भाषण पर बोलते हुए भी इस बारे में बताया था। इस अमैंडमेंट के जरिए एक भारी कर और लगाया जा रहा है। यह हरियाणा की शहरी जनता के साथ भेदभाव है। पहले मकान के कवर्ड एरिये पर टैक्स लगता था लेकिन इस विधेयक के भाग-ख में यह प्रावधान किया गया है कि खाली प्लाट पर भी अनुमानित बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत टैक्स लगाया जाये। मकान के मोल के साथ-साथ भूमि के मोल पर भी टैक्स लगाया जा रहा है इससे टैक्स कई गुणा बढ़ जायेगा इसे जनता नहीं झेल पायेगी। इसलिए मैं सरकार को

[श्री कृष्णपाल]

सुझाव देना चाहूंगा कि जमीन के ऊपर जो 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जायेगा उसे एक प्रतिशत रखा जाये। इसी तरह इसी विधेयक के भाग-ग में कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक कर्मचारी ने 10 साल पहले 20 रुपये गज़ के हिसाब से प्लाट खरीदा और उस पर उसी समय मकान बनाया। आज के दिन उस प्लाट की कीमत 5000 रुपये गज़ हो गई है और कंस्ट्रक्शन कोस्ट भी कई गुणा हो गई है। सरकारी कर्मचारी को इतनी तन्ख्वाह अब नहीं मिलती होगी जितना उसके मकान पर टैक्स लग जायेगा। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर भी टैक्स 5 प्रतिशत की बजाय 2 प्रतिशत रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम के भाग-81 ख में यह प्रावधान किया गया है कि जो किरायेदार मकान मालिक को बढ़े हुए मार्किट रेट से कम किराया देता है उससे हाउस टैक्स मकान मालिक लेकर देगा। आप सभी जानते हैं कि मकान मालिक और किरायेदार में पहले ही बहुत झगड़े होते हैं कई किरायेदार तो किराया भी नहीं देते वे हाउस टैक्स मकान मालिक को कैसे देंगे। इससे तो मकान मालिक और किरायेदार में ज्यादा झगड़े होंगे। इसे भी चेंज किया जाये और किरायेदार से सीधा टैक्स लिया जाये। ऐसे झगड़े शहरों में ज्यादा होते हैं और यह विधेयक शहरी लोगों के हित में नहीं है इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाये और दोबारा से इसे सदन में लाया जाये। धन्यवाद।

बैठक का स्थगन

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लेकर सदन के सम्मानित सदस्यों ने विशेष रूप से चौधरी बंसी लाल जी ने बड़ी चिंता व्यक्त की है, शायद चौधरी बंसी लाल जी इस बिल को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाये हैं। विपक्ष के नेता और साथी भी इस बिल को लेकर काफी शोर मचा रहे थे इस समय वे सदन में नहीं बैठे। वे आंदोलन करने की धमकियां दे रहे थे। वे सदन से बाहर इसलिए चले गये ताकि लोगों को जाकर यह कह सकें कि उन्हें तो इस बिल पर बोलने ही नहीं दिया। इस बिल को चौधरी बंसी लाल जी भी और अच्छी तरह से समझ लेंगे। कांग्रेस वाले साथी भी अगर दोबारा हाउस में आ जाते हैं तो उनको भी बोलने का अवसर मिल सकेगा, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हाउस को एक घण्टे के लिये एडजर्न कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस को एक घण्टे के लिए एडजर्न कर दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : हाउस को एक घण्टे के लिये एडजर्न किया जाता है।

(इस समय सदन एक घण्टे के लिए स्थगित हुआ और 12.40 बजे सदन की बैठक पुनः शुरू हुई)

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 8

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

8. दि पंजाब एक्साईज़ (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2001 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2001.

Sir, I beg to move—

The the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause

Clauses 2 to 11

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

9. दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज़ टू मैम्बर्ज़) अमैंडमेंट बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2001.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री व मुख्य मंत्री जी भी यहां सदन में उपस्थित हैं, यह बिल जो लाया गया है उस पर मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा। समय की आवश्यकता को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस बिल में और अमैंडमैंट की जरूरत है। इसमें जो दिक्कतें हैं या रुकावटें हैं उनके बारे में मैं निजी तौर पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इस बारे में पहला सुझाव तो मेरा यह है कि जो विधायक पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार या जितनी बार भी वे विधायक बन कर आये हैं उन सब के लिए इस लोन की एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए। अब मकान का लोन 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये करने जा रहे हैं इसकी सुविधा भी सभी विधायकों को मिलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन विधायकों ने पहले लोन लिया हुआ है और अब वे विधायक समय की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों की जरूरतों के अनुसार उसी मकान पर दूसरी या तीसरी मंजिल बनाना चाहते हैं तो उनको भी इस लोन की सुविधा दी जानी चाहिए। इस लोन की लिमिट को 8 लाख रुपये ही रहने दी जाये लेकिन जो विधायक पहले 4 लाख रुपये या इससे कम जिन्होंने लिया है यदि वे और लोन लेना चाहते हैं तो उनको इस 8 लाख में से बकाया यानी जितना वे ले चुके हैं वह निकाल कर बकाया उनको लेने की सुविधा भी कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कम से कम 75 प्रतिशत विधायक पहले की लिमिट का फायदा उठा चुके हैं। यदि यह सुविधा बकाया लोन की नहीं की गई तो वे विधायक इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पायेंगे। क्योंकि किसी विधायक ने अपने मकान में कोई चेंज करनी है, मोडिफिकेशन करनी है तो वह इस सुविधा का लाभ उठाते हुए कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि एम0 एल0 ए0 होस्टल 1962 में बना था। उस वक्त किसी विधायक के पास न कार होती थी, न गनमैन होता था और न ही ड्राईवर होता था। उस वक्त विधायक अमूमन बसों में आते जाते थे जबकि आज की स्थिति में विधायकों के पास गनमैन भी होता है, ड्राईवर भी है और वे अपनी कारों से ही सफर करते हैं। दूसरी बात मैं इस लोन की रिकवरी के बारे में कहना चाहूंगा। चाहे किसी विधायक ने कार का लोन लिया है या मकान का लोन लिया है टोटल लोन का एक प्रतिशत सभी विधायकों से रिकवरी के रुप में लेना चाहिए। अतः मेरा पुनः निवेदन है कि एक तो लोन की रिकवरी टोटल लोन की 1 प्रतिशत की जाये और दूसरे जिन विधायकों ने हाउस बिल्डिंग लोन की पहले सुविधा ले ली है तो उसको बकाया लोन लेने की भी सुविधा दी जाये, धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : रावत साहब जब एम0 एल0 ए0 होस्टल बना था उस वक्त बच्चे पैदा करने की छूट थी जबकि आज पहली जितनी छूट नहीं रही। (हंसी)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कहा है कि जो लोन हाउस बिल्डिंग का 4 लाख रुपये से बढ़ा कर 8 लाख रुपये करने जा रहे हैं उस बारे में मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा और सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इसमें रूल्ज़ में अमैंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस अमैंडमेंट के माध्यम से ही वे विधायक फायदा उठा पायेंगे जिन्होंने बढ़ी हुई लिमिट से पहले इस सुविधा का लाभ ले लिया था। अब 8 लाख की जो टोटल लिमिट रखी गई है उसका बकाया भी वे ले पायेंगे। दूसरी बात इन्होंने इनस्टालमेंट की रिकवरी कार लोन की व हाउस बिल्डिंग एडवांस के बारे में कही है कि जो टोटल लोन है उसकी रिकवरी 1 प्रतिशत होनी चाहिए। इसके लिए भी रूल्ज़ में अमैंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और हम रूल्ज़ में अमैंडमेंट कर देंगे और जिन विधायकों की रिकवरी 2 प्रतिशत हो रही है उनकी भी रिकवरी टोटल लोन की 1 प्रतिशत होगी। स्पीकर सर, वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब ने मैम्बर साहेबान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, वह मैं आपकी और उनकी इजाजत से हाउस को बता देता हूं। स्पीकर साहब और विशेष कर डिप्टी स्पीकर साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। डिप्टी स्पीकर साहब का मैं विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि वे हाउस कमेटी के चैयरमैन भी हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है। उनकी मेहरबानी से विधायकों के लिए 16 और नए फलैट्स सैंक्शन हो चुके हैं और थोड़े दिनों में ही इन 16 फलैट्स का कार्य शुरू हो जाएगा। इन फलैट्स के बन जाने से मैम्बर्ज़ साहेबान के लिए और अधिक सुविधा हो जाएगी। इसका शिलान्यास भी डिप्टी स्पीकर साहब की इजाजत से जल्दी ही कर दिया जाएगा।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

आधा घण्टे की चर्चा

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian will speak on half-an-hour discussion regarding Starred Question No.256.

एक आवाज : इस समय डा0 रघुवीर सिंह कादयान जी हाउस में उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इस समय आनरेबल मैम्बर प्रैज़ैंट नहीं है इसलिए यह टेकअप नहीं हो सकता है।

धन्यवाद व्यक्त करना

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि यह पहला अवसर है जब हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन इतना समूथली चला है। आपने सभी मैम्बर्ज को बोलने का अवसर दिया (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय सैशन के दौरान मुझे बोलने के लिए पूरा समय नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बीच में किस लिए खड़े हो गए ? (विघ्न) आप गवर्नर एड्रैस पर भी बोले थे। अब आप बैठें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये गवर्नर एड्रैस पर बोले हैं। यह सारा प्रोसीडिंगज़ में दर्ज है। इनकी हैसियत और पार्टी के हिसाब से तो इनको सैकिण्डों में समय मिलना चाहिए था लेकिन इनको तो बहुत ज्यादा समय दिया गया है। इनको तो आपका आभार व्यक्त करना चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा, सारे सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत ही अच्छे माहौल में, बड़े ही सुलझे हुए तरीके से सदन की कार्यवाही चली। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रैस के साथियों का जिन्होंने शायद पहली मर्तबा इस तरह का वातावरण समझने का, सुनने का और लिखने का काम किया। इतना अच्छा

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

वातावरण आज से पहले शायद कभी इस सदन में देखने को नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से न किसी को नेम किया गया और न किसी को वार्निंग दी गई। हालांकि आपके ऊपर भी कुछेक साथियों ने बड़े गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किये हैं। फिर भी आपकी पेशैंस की दाद भी देंगे क्योंकि आपने उन सारी बातों को आई गई करके नई परम्परा को और नई परिपाटी को कायम किया है। मैं चाहूंगा कि आगे के लिए भी इसी प्रकार से एक अवसर सभी को मिले। आपकी उदारता से सदन में एक नई परम्परा कायम हुई है। सदन में जो नहीं बोलना चाहते थे, आपने तो उनके भी बार-बार नाम लिए और वे बार-बार कहते रहे कि हम नहीं बोलेंगे। आपने 90 के 90 मैम्बर्ज़ को बोलने का अवसर दिया है। कईओं को तो आपने 2-2 और 3-3 मर्तबा बोलने का भी मौका दिया। यहां पर खुलकर के बात हुई और शायद यह पहला अवसर है कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक, बजट सैशन की 11 सीटिंग्ज हुई हैं। सबको बोलने का पूरा समय मिला है। अध्यक्ष महोदय, जब हम उन बैन्चों पर बैठा करते थे और आपकी कुर्सी पर दूसरे लोग होते थे, तब हम डिबेट पर बोलने के लिए रीझ कर मर जाया करते थे लेकिन हमें बोलने के लिए कोई समय ही नहीं दिया जाता था। नेम करना, सदन से बाहर निकालना और वार्निंग देना एक आम बात हो गई थी। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि उस परिपाटी को आपके द्वारा बदल दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी माहौल इसी प्रकार का ही रहेगा। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सपलेनेशन पर बोलना चाहता हूं। * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी आप बैठ जाएं। अब यह समय खत्म हो गया है। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठिए। आपका भी धन्यवाद करेंगे। यह कोई पर्सनल ऐक्सपलेनेशन नहीं है। (विघ्न) ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

सम्मानित सदस्यगण, प्रैस के साथियों और अधिकारीगणों सैशन में आपका कोआप्रेशन रहा, आपका पूरा सहयोग रहा मैं उस कोआप्रेशन और सहयोग के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned *sine-die.*

* 12.56 Hrs. (The Sabha then * adjourned *sine-die.*)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।